नगर पंचायत नारकंडा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 01.04.18 से 31.03.21 तक

भाग – 1

1 प्रारंम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होनें व प्रधान सचिव(वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-378/81-फिन(एल॰ ए॰) खण्ड –IV, दिनांक 16.10.2008 द्धारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व, निदेशक राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौपें जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत नारकंडा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य निर्धारित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01.04.18 से 31.03.21 तक के दौरान नगर पंचायत नारकंडा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में निम्न प्रधान तथा सचिव कार्यरत रहे: –

(i) प्रधान

क्र. सं.	विवरण	अवधि
1	श्री मति कमलेश केंथला	01.04.2018 से 17.01.2021 तक
2	श्री राजेश कुमार	18.01-2021 से 31.03.2021 तक

(ii) सचिव

1	श्री नीरज गुप्ता (उपमंडलाधिकारी (ना०)	03.4.2018 से 24.07.2018 तक
2	श्री नरेन्द्र चौहान (उपमंडलाधिकारी (ना०)	04.08.2018 से 24.9.2018 तक
3	श्री राजिन्दर ठाकुर (तहसीलदार)	25.9.2018 से 25.2.2019 तक
4	श्री रमेश चंद (तहसीलदार)	24.4.2019 से 19.5.2020 तक
5	श्री हरि कपूर	20.05.2020 से 31.03.2021तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

नगर पंचायत नारकंडा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 01.04.18 से 31.03.21 तक के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं.	गम्भीर अनियमितताओं का संबन्धित सार	पैरा संख्या	राशि (₹) (लाखों में)
1	अनुदानों की राशि उपयोग हेतु शेष	6 (क)	143.64
2	अनुदानों से संबन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवाना	6 (ख)	37.86
3	अनुदान राशियो का वेतन भुगतान हेतु अनाधिकृत उपयोग करना	6 (ग)	50.82
4	गृह कर व सफाई कर की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	8 (क)	9.73
5	दुकानों के देय किराए की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	9 (क)	9.99
6	पार्किंग आबंटन न करने से संभावित वितीय हानि	11	3.48
7	मोबाईल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष	12 (क)	1.97
8	मोबाईल टावर शुल्क की कम वसूली व मांग करना	12 (ख)	1.10
9	बिना स्वीकृति के कर्मचारियों की नियुक्तियों के कारण वेतन व भत्तों का अनियमित भुगतान करना	13 (क)	4.73
10	कर्मचारियों को वेतन का अनियमित रूप में अधिक भुगतान करना	13 (ग)	1.82
11	संविदाकारों को निर्माण कार्य हेतु अधिक भुगतान करना	15.1 से 15.18	1.30
12	निर्माण कार्य बिलों से स्त्रोत पर G.S.T राशि की कटौती न करना	15.20	0.14
13	नियमानुसार संविदाकारों के बिलों से श्रम कर की कटौती न करना	15.21	0.23

14	नियमानुसार संविदाकारों के बिलों से श्रम कर कटौती राशि को सम्बंधित विभाग में जमा न करना	15.22	0.10
15	नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण कार्य का आबंटन व निष्पादन करना	15.23	30.70

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "1"** पर दर्शाई गई हैं । प्राय: यह देखने में आया हैं कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्धारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही हैं जोकि अत्यंत चिंता का विषय हैं। अत: नगर पंचायत समस्त लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान चलाकर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

भाग –2

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर पंचायत नारकंडा के लेखाओं अवधि 01.04.18 से 31.03.21 तक का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट हैं, श्री रविंदर सिंह सहायक नियंत्रक व श्री विक्की कनिष्ट लेखा परीक्षक द्वारा अवधि 30.03.2021 से 21.08.2121 तक के दौरान नगर पंचायत के नारकंडा स्थित कार्यालय में किया गया । विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 03/2019, 5/19 व 03/2021 तथा व्यय के लिए माह 05/2018, 10/2019 व 10/2020 का चयन किया गया।

"वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन को सचिव, नगर पंचायत नारकंडा, जिला शिमला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर प्रारूपण किया गया है। हि॰प्र॰, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, नगर पंचायत नारकंडा द्वारा दी गई गलत/अधूरी सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।"

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर पंचायत नारकंडा के लेखाओं अवधि 01.04.18 से 31.03.21 के अंकेक्षण का शुल्क ₹54800/- आंका गया । सचिव, नगर पंचायत नारकंडा, जिला शिमला से अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला - 171009 के नाम प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या R- 88/2021 दिनांक 21.8.2021 द्वारा अनुरोध किया गया था जोकि बैंक ड्राफ्ट संख्या 123301 द्वारा दिनांक 21.08.21 को प्रेषित कर दी गई है I

4. वित्तीय स्थिति

(क) सामान्य निधि

नगर पंचायत नारकंडा के लेखाओं अवधि 01.04.18 से 31.03.21 तक पर आधारित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण बैंक समाधान विवरण सहित इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर भी दिया गया हैं :–

FINANCIAL POSITION of Nagar Panchyat Narkanda Distt. Shimla(H.P.)

Financial YEAR	Name of Head	OPENING BALANCE (₹)	RECEIPT DURING THE YEAR (₹)	Interest Received (Saving +FDR interest) (₹)	TOTAL (₹)	Expenditure (₹)	CLOSING BALANCE (₹)
2018-19	Own Sources	1037444.14	2795324.97	967461.45	4800230.56	3174300.77	1625929.79
	Grant In Aid	18281029.00	4188870.00	0.00	22469899.00	4725273.00	17744626.00
	Total	19318473.14	6984194.97	967461.45	27270129.56	7899573.77	19370555.79
2019-20	Own Sources	1625929.79	3479180.90	932564.20	6037674.89	3880397.15	2157277.74
	Grant In Aid	17744626.00	6454254.00	0.00	24198880.00	10455701.00	13743179.00
	Total	19370555.79	9933434.90	932564.20	30236554.89	14336098.15	15900456.74
2020-21	Own Sources	2157277.74	4168945.00	783432.00	7109654.74	3032535.85	4077118.89

	Grant In Aid	**13743179.00**	**5577404.00**	**0.00**	**19320583.00**	**4956675.00**	**14363908.00**
	Total	**15900456.74**	**9746349.00**	**783432.00**	**26430237.74**	**7989210.85**	**18441026.89**

Closing Balance as per General Cash Book as on 31.03.2021	**18441026.89**
CR.Balance as per Bank Accounts as on 31.03.2021 (Detail Given Below)	**18432926.89**
Difference between Closing Balance of Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2021	**8100.00**
4 (i) Bank Reconciliation Statement as on 31.03.21	
Particulars	**Amount (₹)**
Less : Balance as per cash book as on 31.3.21	**18441026.89**
Cheque no. 584427 received on 26-03-2021 from Kedar Nath Gupta but not cleared by Bank in March 2021(Cleared on 02-04-2021 in UCO 3322)	**8100.00**
CR.Balance as per Bank accounts as on 31.3.21	**18432926.89**
(ii) Detail of Bank Accounts As on 31.03.2021	
H.P.State co-oprative bank Narkanda account no 2939	**1656841.95**
UCO Bank Narkanda account no 3322	**1708971.19**
H.D.F.C. shilaroo Account no 2975	**40187.00**
S.B.I. Narkanda account 0152	**1402318.00**
UCO Bank Narkanda account no 8766	**1324391.75**
UCO Bank Narkanda account no 8773	**27601.00**
H.D.F.C. Ratnari Account no 2967	**2553748.00**
F.D.R Uco Bank Narkanda account no 0023	**1368215.00**
F.D.R Uco Bank Narkanda account no 9826	**8350653.00**
Total	**18432926.89**

4.2 दोहरी लेखा पद्धति को लागू न करना

निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र सं. UD –H(C)-15-49/2003-III 3332-3379 DT. 25.03.2009, UD –H(C)-15-49/2003-III 9337-9385 DT. 07.09.2009, और पत्र सं. UD –H(C)-15-49/2003-IV 5215-63 DT. 19.07.2010 द्वारा सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिये गए थे कि लेखा खातों को दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) से रख–रखाव किया जाए किन्तु वित्तीय वर्ष 2018-

19 से 2020-21 के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत नारकंडा द्वारा इन निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही थी तथा लेखों खातों को एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है। जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अब सरकार के निर्देशानुसार लेखों को दोहरी पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) के आधार पर बनाया जाना तुरन्त सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

4.3 पैंशन व ग्रेच्युटी फ़ंड

अंकेक्षण को **परिशिष्ट-ख** द्वारा प्रस्तुत सूचनानुसार नगर पंचायत के पैंशन व ग्रेच्युटी फ़ंड की अवधि 01.04.18 से 31.03.21 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

Financial position of Pension & Gratuity Fund						
Financial Year	**Opening Balance (₹)**	**Receipt during the year (₹)**	**Interest (₹)**	**Total (₹)**	**Expenditure (₹)**	**Closing balance (₹)**
2018-19	**2012723**	**205544**	**7130**	**2225397**	**20175**	**2205222**
2019-20	**2205222**	**141984**	**12093**	**2359299**	**80700**	**2278599**
2020-21	**2278599**	**265735**	**358564**	**2902898**	**80720.25**	**2822177.75**
Bank Reconciliation Statement of Pension & Gratuity Fund						
Balance as on 31.03-2021 in UCO bank A/c 4541						**₹597666.75**
FDR account no 0615						**₹2224511.00**
Total Balance in bank accounts as on 31.03-2021						**₹2822177.75**

4.4 G.P.F. एवं C.P.S खातों का नियमानुसार रख रखाव न करना:-

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा G.P.F. एवं C.P.S खातों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है अर्थात नगर पंचायत द्वारा कर्मचारियों के G.P.F. एवं C.P.S खातों का रख रखाव प्रत्येक कर्मचारी का अलग -अलग बैंक खाता खोलकर उसे सचिव नगर पंचायत

के पक्ष में गिरवी (pledge) करके संचालन किया जा रहा है जबकि पैंशन व ग्रेच्युटी के नियमों के अनुसार 15.5.2003 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के G.P.F हेतु निधि का गठन करके सचिव के नाम एक ही बैंक खाते का संचालन किया जाना चाहिए व प्रत्येक कर्मचारियों हेतु अलग खाता बही का रखरखाव नगर पंचायत स्तर पर किया जाना अपेक्षित है ताकि कर्मचारियों के खाते में जमा शेष राशि की पड़ताल की जा सके तथा इसके अतिरिक्त 15.5.2003 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के C.P.S (Employer & Employee Share) खातों का रख रखाव भी G.P.F की भाँति ही किया जाना अपेक्षित है परन्तु नगर पंचायत द्वारा ऐसी कार्यवाही अमल में न लाना गम्भीर अनियमितता है जिसे या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा भविष्य में G.P.F. एवं C.P.S निधि का गठन व लेखों तथा बैंक खातों का नियमानुसार रख रखाव व संचालन करना सुनिश्चित किया जाए इसके अतिरिक्त बैंक खातों में जमा राशि का निवेश भी नियमानुसार सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

5 निवेश

नगर पंचायत नारकंडा, द्वारा दिनांक 31.3.2021 तक निम्नलिखित राशियां सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित थी I अत: निवेशित राशियो को परिपक्वता तिथि को भुनाना अथवा पुन: निवेश करना सुनिश्चित किया जाए : –

Name of Bank	F.D.R No	Amount invested (Rs)	Date of investment	Rate of Interest	Maturity value(Rs)	Date of maturity	Remarks
uco Bank Narkanda	0023	1287841	1.4.2020	6.1%	1368215	31.3.2021	Amount Reinvested on Dated 31.3.2021
uco Bank Narkanda	9826	7860107	1.4.2020	6.1%	8350653	31.3.2021	Amount Reinvested on Dated 31.3.2021
uco Bank Narkanda	0165	2224511	2.12.2020	4.7	2318178	25.10.2021	Pension Fund
Total		**11372459**			**12037046**		

6. अनुदान

सचिव, नगर पंचायत नारकंडा, द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "क"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अनुदानों की अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2018-19	**18281029.00**	**4188870.00**	**22469899.00**	**4725273.00**	**17744626.00**
2019-20	**17744626.00**	**6454254.00**	**24198880.00**	**10455701.00**	**13743179.00**
2020-21	**13743179.00**	**5577404.00**	**19320583.00**	**4956675.00**	**14363908.00**

(क) अनुदानों की ₹143.64 लाख उपयोग हेतु शेष

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट- क** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार नगर पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदानों में से ₹14363908/- की राशि दिनांक 31.03.2021 को उपयोग हेतु शेष थी। अत: उपरोक्त अनुदानों की राशि को उपयोग न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए इन्हें समयानुसार निर्धारित उदेश्यों हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इन अनुदान राशियों को सम्बन्धित संस्था को वापिस लौटाया जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

(ख) अनुदानों से संबन्धित ₹37.86 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्था को जारी न करना

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "ग"** द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुसार नगर पंचायत द्वारा वितीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 में विभिन्न स्त्रोत से प्राप्त अनुदानों में से ₹3785604/- व्यय/उपयोग तो की गई थी परंतु इन राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र संबन्धित विभाग को प्रेषित नही किया गए जोकि एक गंभीर अनियमितता है। अत: ₹3785604/- के उपयोगिता प्रमाण पत्रो को संबन्धित विभाग को प्रेषित करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा

ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

(ग) अनुदानों की राशि ₹50.82 लाख का कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अनियमित उपयोग करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्धारा निम्न विवरण अनुसार विभिन्न निर्माण कार्य हेतु प्राप्त अनुदान **₹5082152** को कर्मचारियों के वेतन के भुगतान करने हेतु उपयोग किया गया था जोकि अनुदान की शर्तों के प्रतिकूल होने के कारण एक गंभीर वितीय अनियमितता है I अत: यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आश्य के साथ लाया जाता है कि वर्णित अनुदानों की राशि की उचित स्त्रोत से भरपाई करवाने के साथ-2 इसे निर्धारित उदेश्य हेतु उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अतः अपेक्षित कृत कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

Name of Grant which is utilized for Salary Purpose	**purpose of Grant**	**Amount of Grant utilized for Salary (₹)**	**Remarks**
I.D.S.M.T	Const. of Shoping Complex	2862804	Grant unutilized from year 2003
H.P. Tourism Department	Development of Tourism Activity	169348	Grant unutilized from year 2009
H.P. Tourism Department	Development of Tourism Activity	2050000	Grant unutilized from year 2018-19 or 2019-20
Total		**5082152**	

7 स्वीकृत बजट लक्ष्य की तुलना में अपने संसाधनों से आय (Income from own Sources) कम प्राप्त करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अपने संसाधनों से आय (Income from own Sources) हेतु स्वीकृत बजट लक्ष्य की तुलना में वास्तविक आय निम्न विवरणानुसार **₹3717092/-** कम प्राप्त की गई थी जो कि एक गंभीर चिन्ता का विषय है। अत: स्वीकृत बजट लक्ष्य की तुलना में अपने संसाधनों से आय (Income from own Sources) कम प्राप्त करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में बजट प्रावधानों के अनुसार ही आय प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा:-

वितीय वर्ष	अपने संसाधनों से प्राप्त आय (Income from own Sources) हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान (₹)	अपने संसाधनों से प्राप्त वास्तविक आय (Income from own Sources) (₹)	बजट प्रावधान की तुलना में अपने संसाधनों से कम प्राप्त आय (₹)
2018-19	4789000	3762786	1026214
2019-20	5470000	4411745	1058255
2020-21	6585000	4952377	1632623
Total	**16844000**	**13126908**	**3717092**

8 गृहकर व सफाई कर

(क) गृह कर व सफाई कर की बकाया ₹9.73 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण के दौरान संबन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2021 को निम्न विवरणानुसार गृहकर व सफाई कर ₹973097 वसूली हेतु शेष थी जिसका सम्पूर्ण विवरण **परिशिष्ट- घ** में भी दिया गया हैं :-

क्र. सं.	विवरण	वसूली योग्य बकाया राशि (₹)
1	गृह कर	764697.00
2	सफाई कर	208400.00

	कुल योग	**973097.00**

निदेशक शहरी विकास, हि. प्र. के पत्र सं. यू.एल.बी.एच.(ए)(7)-1 /87-9237-9284 दिनांक 20.06.2001 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार करों की शत प्रतिशत वसूली अपेक्षित थी लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति यथावत जारी थी जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अत: निदेशक शहरी विकास, हि.प्र. के आदेशों के अनुसार करों की शत प्रतिशत वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

(ख) गृह कर / संपति कर का कम मूल्यांकंन (Assessment) करने के कारण नगर पंचायत को ₹0.56 लाख की संभावित वितीय हानि

अंकेक्षण के दौरान गृह कर / संपति कर के मूल्यांकंन (Assessment) रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा वितीय वर्ष में विभिन्न सम्पति कर दाताओ के गृह कर के कम मूल्यांकंन (Assessment) करने के कारण निम्न विवरणानुसार ₹56336/- की संभावित वितीय हानि हुई प्रतीत होती है I नगर पंचायत द्वारा विभिन्न व्यवसायिक भवनों के गृह कर के निर्धारण हेतु अलग -अलग निर्माण लागत के आधार पर गृह कर का निर्धारण किया गया था अर्थात कुछ व्यवसायिक भवनों का कर निर्धारण ₹4000/- प्रति वर्ग मी निर्माण लागत के आधार पर जबकि कुछ प्रकरणों में ₹3500/- प्रति वर्ग मी व ₹2500/- प्रति वर्ग मी निर्माण लागत के आधार पर किया गया था I अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर 78/21 दिनांक 29.7.21 के प्रतिउतर में उपलब्ध करवाई गई सुचना अनुसार नगर पंचायत द्वारा गृह कर के निर्धारण हेतु ₹4000/- प्रति वर्ग मी निर्माण लागत अनुसार गृह कर का निर्धारित किया गया था जिसके अनुसार व्यवसायिक भवनों का कर निर्धारण एक ही निर्माण लागत के अनुसार किया जाना अपेक्षित था:-

Name and Address of Assessee	Date of Assessment of House Tax	Amount of House Tax Assessed (as per Register)	Amount of House Tax(as per Audit)	Difference (Rs)	Remarks (Detail of Calculation)
OP Mehta Ward No. 2	Apr-20 (1 years)	1 1689m^2*4000=6756000 2. 6756000*10%=675600 3. 675600*10%= 67560 4. 675600-67560=608040 5. 608040*12.5%=76005 =76005	1.1689m^2*4000=6756000 2. 6756000*10%=675600 3. 675600*10%=67560 4. 675600-67560=608040 5. 608040*12.5%=76005 =76005	0	**1. Total area of building * Plinth area rate = construction value of building (Area*Const. Cost)** **2. 10% of Annual Rental value of building=Taxable amount** **3. Minus 10% of Rebate for annual repair (Annual Rental Value-10%)** **4.Taxable amount (Annual Rental value-10% Rebate)** **5. Final value of tax (Net Taxable Value*12.5% Tax Rate)**
Rajesh Gupta Ward No. 3	Apr-20 (1 years)	1. 5101m2*3500=17853500 2. 17853500*10%=1785350 3. 1785350*10%=178535 4. 1785350-178535=1606815 5. 1606815*12.5% =200851	1. 5101m^*4000=20404000 2. 20404000*10%=2040400 3. 2040400*10%=204040 4. 2040400-204040=1836360 5. 1836360*12.5% =229545	28694	
Draupti Devi Ward No. 3	Apr-20 (1 years)	1. 690m^2*3500=2415000 2. 2415000*10%=241500 3. 241500*10%=24150 4. 241500-24150=217350 5. 217350*12.5%= 27168 =27168	1. 690m^2*4000=2760000 2. 2760000*10%=276000 3. 276000*10%=27600 4. 276000-27600= 248400 5. 248400*12.5=31050 =31050	3882	
Sara Hotel Prop. Shashi Chauhan Ward No. 7	Apr-17 (4Years)	1. 352m^2*2500=880000 2. 880000*10%=88000 3. 88000*10%=8800 4. 88000-8800=79200 5. 79200*12.5%=9900	1. 352m^2*4000=1408000 2. 1408000*10%=140800 3. 140800*10%=14080 4. 140800-14080=126720 5. 126720*12.5%=15840	23760 (15840 -9900= 5940*4 Years upto 31.3.21)	

			Total	**56336**	

अतः वर्णित अनियमितता का नियमों के दृष्टिगत या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

(ग) गृह कर / संपति कर की मूल्यांकन सूची (Assessment list) में हि.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 77 के अनुसार आवश्यक संशोधन न करना

हि.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 77 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक पाँच वर्ष के उपरांत हाऊस टैक्स/संपति कर की मूल्यांकन सूची (Assessment List) में वर्तमान स्थिति अनुसार आवश्यक सशोंधन किया जाना अपेक्षित है। नगर पंचायत नारकंडा द्धारा अपने परिधि क्षेत्र में गृह कर / संपति कर दिनांक 01.04.1997 से अधिरोपित किया गया था तथा उक्त वर्णित धारा 77 के प्रावधानों के अनुसार पाँच वर्ष के उपरांत वर्ष 2002-03 से व तदोपरान्त प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर गृह कर मूल्यांकन सूची (Assessment List) में आवश्यक संशोधन किये जाने अपेक्षित थे जोकि नगर पंचायत द्धारा नहीं किये गए थे । अत: उपरोक्त वर्णित नियमों की अनदेखी करके नियमित समय पर मूल्यांकन सूची (Assessment List) में आवश्यक संशोधन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में जमीन की वर्तमान कीमत, निर्माण कार्य की वर्तमान लागत के आधार पर गृह कर का निर्धारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित

किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

9 दुकानों का किराया

(क) दुकानों का किराया ₹9.99 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2021 तक निम्न विवरणानुसार ₹998807/- दुकानों से किराये के रूप में वसूली हेतु शेष थे जिसका सम्पूर्ण विवरण **परिशिष्ट- घ** में भी दिया गया हैं :-

बकाया राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर– 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा :-

Shop Rent					
Fiancial Year	**Opening Balance (₹)**	**Demand During the year (₹)**	**Total (₹)**	**Amount Received during the year (₹)**	**Closing Balance (₹)**
2018-19	1532643	1602382	3135025	1512692	1622333
2019-20	1622333	1077642	2699975	1229318	1470657
2020-21	1470657	1799800	3270457	2271650	998807

(ख) दुकानों के किराए का देय विलम्ब शुल्क ₹0.05 लाख की वसूली न करना

अंकेक्षण के दौरान आबंटित दुकानों के किराए की पड़ताल पर पाया गया कि नगर पंचयत द्वारा विलम्ब शुल्क के रूप में देय ₹4700/- की वसूली नहीं की गई थी I नगर पंचायत व दुकानों के आबंटियो के मध्य अनुबंध के अनुसार प्रत्येक माह के 12 तारीख तक नगर पंचायत के पास किराए को जमा करवाया जाना अपेक्षित था तथा

विलम्ब की स्थिति में प्रत्येक दिन के लिए ₹5/- की दर से वसूली की जानी अपेक्षित थी परन्तु नगर पंचायत द्वारा निम्न विवरण अनुसार दुकानों के आबंटियो से विलम्ब शुल्क के रूप में ₹4700/- की वसूली नहीं की गई जिसे या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा सम्बंधित आबंटियो से वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

	Detail of late fee of Shop Rent								
Sr. No.	**Name of Shop Holder**	**Shop No.**	**Due Date of Rent**	**Date of receipt of Rent**	**Delay in Days**	**Rate of Late Fee Per Days**	**Late Fee Due**	**Late Fee Received**	**Less receipt of Lare Fees (Rs)**
1	Sukh Dev Dogra	6	12/10/2020	31-03-2021	261	5.00	1305.00	0	1305.00
2	Meera Rajta	35	12/10/2020	30-12-2020	20	5.00	100.00	0	100.00
3	Kamal Bahadur	4	12/10/2020	30-03-2021	260	5.00	1300.00	555	745.00
4	Anit Shayam	1	12/10/2020	22-03-2021	225	5.00	1125.00	0	1125.00
5	Hitender Kaushal	5	12/10/2020	18-01-2021	39	5.00	195.00	0	195.00
6	Jagdish Kumar	3	12/10/2020	22-03-2021	225	5.00	1125.00	510	615.00
7	Anit Shayam	Nil	12/10/2020	3/22/2021	225	5.00	1125.00	510	615.00
						Total	6275.00	**1575**	**4700.00**

(ग) दुकानों के पट्टाधारको से देय टोकन लीज़ राशि की वसूली न करने के कारण ₹0.06 लाख की वित्तीय हानि

नगर पंचायत नारकंडा व्यावसायिक परिसर की 24 दुकानों को विभिन्न पट्टाधारियों को 99 वर्ष, 25 वर्ष व 35 वर्ष के लिए लीज़ पर आबंटित किया गया था तथा इन नव निर्मित दुकानों की नीलामी की शर्तों व Lease अनुबंध के अनुसार पट्टे पर दी गई दुकानों से प्रत्येक वर्ष ₹100 टोकन लीज़ की वसूली की जानी अपेक्षित थी परन्तु वर्णित वसूली न करने के कारण नगर पंचायत को निम्न विवरणानुसार **₹5900** की वित्तीय हानि हुई है जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है:-

नगर पंचायात नारकंडा, जिला शिमला द्वारा पट्टे पर आबंटित दुकानों से दिनांक 31-03-21 तक वसूली योग्य बकाया टोकन लीज़ राशि का विवरण

क्र0 सं0	नाम	पट्टे की तिथि	वसूली योग्य टोकन लीज़ राशि (₹)
1	श्री रमन सरकेक	28-08-94	100
2	वन विभाग नारकंडा कार्यालय	15-08-94	2000
3	ट्रांसपोर्ट आफिस कार्यालय	30-10-91	2000
4	टेलीफोन एक्सचेंज	02-05-93	1800
		कुल योग	**5900**

अत: वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा देय राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से शीघ्र करके नगर पंचायत निधि मे जमा करवाई जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाएI इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

10 बिजली व शराब उपकर

(क) बिजली उप-कर माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर का संधारण न करना व बिजली बोर्ड से देय उपकर राशि की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल. एस. जी. –(डी)(1)-9/94, दिनांक 01.12.99 एवं हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर पंचायत द्धारा, नगर पंचायत क्षेत्र की परिधि में खर्च होने वाली बिजली पर प्रति यूनिट 1 पैसा की दर से उपकर हि.प्र.बिजली बोर्ड से वसूल किया जाना आपेक्षित हैं । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत को वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान देय बिजली शुल्क की राशि निम्न विवरण अनुसार प्राप्त हुई थी परन्तु बिजली विभाग से खपत का पूर्ण विवरण व किस वर्ष की राशि प्राप्त हुई से सम्बंधित विवरण प्राप्त नहीं किया गया जिसके कारण प्राप्त राशि का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका ।

Detail of Electricity Cess Received

Year	Amount Received	Date Of Receipt	Cash book Page no	Remarks
2018-19	**22487**	**8/13/2018**	**40**	**Detail of Electricity consumption not Submitted**
2019-20	**7000**	**2/15/2020**	**29**	-Do-
2020-21	**35253**	**9/19/2020**	**59**	-Do-

अत: यह प्रकरण बिजली बोर्ड से उठाया जाए तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान देय बिजली शुल्क की राशि को बिजली खपत के पूर्ण विवरण सहित प्राप्त करने के अतिरिक्त अपेक्षित मांग व प्राप्ति रजिस्टर का संधारण करना भी सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर– 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि

इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

(ख) वर्ष 2020-21 हेतु सम्बन्धित विभाग से देय शराब उप कर की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू.एल.बी. –एच(सी)(9)-28/96-1, दिनांक 01.12.99 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र के अन्दर शराब के ठेकों से बिकने वाली शराब की बोतलों पर 1.00 प्रति बोतल की दर से शराब उपकर आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा संबन्धित स्थानीय निकायों को भुगतान किया जाना अपेक्षित है I अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान नगर पंचायत को निम्न विवरणानुसार **₹504163/-** आबकारी एवं कराधान विभाग शिमला हि.प्र. से शराब उप कर के रूप में प्राप्त हुए थे परन्तु नगर पंचायत द्वारा उक्त अवधि के दौरान शराब की बोतलों की बिक्री का पूर्ण विवरण, आबकारी एवं कराधान विभाग शिमला हि.प्र. से प्राप्त नहीं किया गया था, जिसके अभाव में प्राप्त राशि का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका:–

Detail of Liquor Cess Received				
Year	**Amount Received**	**Date Of Receipt**	**Cash book Page no**	**Remarks**
2018-19	180427	3/25/2019	72	Amount Received for 2017-18
2019-20	200734	3/13/2020	35	Amount Received for 2018-19
2020-21	123002	3/18/2021	94	Amount Received for 2019-20
Total	**504163**			

इसके अतिरिक्त प्रस्तुत अभिलेख की पड़ताल करने पर यह भी पाया गया कि वर्ष 2020–21 के लिए देय शराब उप कर की राशि, आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त करने हेतु नगर पंचायत द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। अत: परामर्श दिया जाता हैं कि आबकारी एवं कराधान विभाग शिमला, हि. प्र. से नगर पंचायत क्षेत्र में वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान शराब की बोतलों की बिक्री का पूर्ण विवरण प्राप्त करने के अतिरिक्त वर्ष 2020-21 हेतु

देय शराब शुल्क की वसूली हेतु भी अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर– 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

11 पार्किंग आबंटन न करने के फलस्वरूप ₹3.48 लाख की संभावित आय हानि

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत नारकंडा द्वारा निदेशक शहरी विकास शिमला से प्राप्त अनुदान से वार्ड न0 6 में पार्किंग का निर्माण करवाया गया था जिससे सम्बंधित सूचना सचिव नगर पंचायत नारकंडा से अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:R–77/21 दिनांक 29/07 /21 के द्वारा मांगी गई थी तथा सचिव नगर पंचायत नारकंडा के पत्र संख्या 682 दिनांक 29/07/2021 द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उक्त पार्किंग को नगर पंचायत द्वारा वितीय वर्ष 2019–20 व 2020–21 के दौरान किराए पर आबंटित नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार नगर पंचायत द्वारा पार्किंग को आबंटित किया जाना अपेक्षित था ताकि पार्किंग सम्पत्ति का सदुपयोग करके आबंटन से आय अर्जित की जा सके किन्तु नगर पंचायत द्वारा उक्त पार्किंग का आबंटन नहीं किया गया I सचिव नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुचना अनुसार वितीय वर्ष 2019–20 में ₹14000/- व वितीय वर्ष 2020–21 में ₹15000 प्रति महीना की दर से पार्किंग का आबंटन किया जा सकता था परन्तु नगर पंचायत द्वारा आबंटन न करने से निम्न विवरण अनुसार ₹3.48 लाख की आय पार्किंग आबंटन के पश्चात संभावित थी जिसके फलस्वरूप नगर पंचायत को संभावित वितीय हानि हुई जो कि एक गम्भीर अनियमितता है जिसे या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर– 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा

ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

Detail of Loss due to non allotment of Parking						
Period for which parking not alloted after completion	Capasity of Parking	Tentative rate per Year if parking allotted	Period for which parking not alloted	No of Month	amount of loss Aue to non allotment of parkin (Rs)	Remarks
2019-20	50	14000 P.M.	1/4/19 to 31/3/20	12	168000/-	Loss Of income Rs 3.48 lakh due to non allotment of parking
2020-21	50	15000 P.M.	1/4/20 to 31/3/21	12	180000/-	
			Total	16	348000	

12 मोबाइल टावर शुल्क

(क) मोबाईल टावर शुल्क ₹1.97 लाख वसूली हेतु शेष

निदेशक शहरी विकास, हि.प्र. के पत्र सं. यू.डी.-एच.(ए)(7)-1/2006-10396-10445-46 दिनांक 25.09.2006 व हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र सं. DIT- Dev-IT-2005(Misc), 96 दिनांक 21.6.2017 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में मोबाईल टावर लगाने हेतु ₹25000.00 स्थापना शुल्क तथा ₹12500.00 वार्षिक नवीनीकरण शुल्क सम्बन्धित कम्पनी से वसूल किया जाना अपेक्षित है I अंकेक्षण के दौरान मोबाईल टावर रजिस्टर व यथा **परिशिष्ट 'घ'** पर प्रस्तुत सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2021 तक नगर पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹197375 वसूली हेतु शेष थी जिसके सन्दर्भ में पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है । अत: मोबाईल टावर शुल्क वसूल न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित देय राशि की वसूली हेतु तुरन्त नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021

के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा :-

Mobile Tower fees					
Year	**Opening Balance (₹)**	**Demand During the year (₹)**	**Total (₹)**	**Amount Received during the year (₹)**	**Closing Balance (₹)**
2018-19	214500	35000	249500	54625	194875
2019-20	194875	35000	229875	0	229875
2020-21	229875	35000	264875	67500	197375

(ख) मोबाईल टावर शुल्क ₹1.10 लाख की कम मांग व वसूली करना

निदेशक शहरी विकास, हि.प्र. के पत्र सं. यू.डी.-एच.(ए)(7)-1/2006-10396-10445-46 दिनांक 25.09.2006 व हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र सं. DIT- Dev-IT-2005(Misc), 96 दिनांक 21.6.2017 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में वितीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 में मोबाईल टावर नवनीकरण शुल्क ₹12500/- प्रति वर्ष प्रति टावर की दर से मांग व वसूली की जानी अपेक्षित थी परन्तु नगर पंचायत द्वारा उक्त अवधि में निम्न विवरण अनुसार निर्धारित दर से मांग व वसूली न करने के कारण नगर पंचायत को ₹110000/- की वितीय हानि हुई जिसे या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा मामले में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर वितीय हानि की भरपाई सुनिश्चित की जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा :-

Sr. No.	**Name of company**	**No. of year for less demand raised (2017-18 to 2020-21)**	**Demand raised by NP Narkanda (₹)**	**Demand as per Govt approved rates (₹)**	**Difference (₹)**	**Less Demand/Recovery (₹)**
1	Reliance info Co. limited	4	7500	12500	5000	20000

2	Tata tally service	4	7500	12500	5000	20000
3	Bharti Cellular	4	7500	12500	5000	20000
4	Idea telecom Ltd	4	6250	12500	6250	25000
5	BSNL	4	6250	12500	6250	25000
					Total	**110000**

13 संस्थापना

(क) नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर पर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नियुक्तियों के पश्चात वेतन पर ₹4.73 लाख का अनियमित भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान अपने स्तर पर निम्न विवरण अनुसार विभिन्न सफाई कर्मियों को नगर पंचायत के कार्य हेतु नियुक्त किया गया तथा जिनके वेतन/मजदूरी पर वितीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के दौरान **₹472500/-** का व्यय भी किया गया परन्तु वर्णित कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न तो निदेशक शहरी विकास विभाग से स्वीकृति प्राप्त की गई थी न ही पदों का सृजन किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है क्योंकि Himachal Pardesh Municipal Service Act 1994 के प्रावधानानुसार यदि नगर पंचायत को किसी कर्मचारी की किसी पद पर नियुक्ति करनी है तो उस स्थिति में पद सृजन व नियुक्ति हेतु निदेशक शहरी विकास की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है :-

Name & Designation of Employee	**Date of Appointment**	**Detail of Appointment**	**Amount of Salary Expenditure 1.7.2019 to 31.03.2021 (Approx (Rs)**
Smt. Anuradha Saffai Staff	1.7.2019	Appointed on Daily Basis for Saffai Work vide resoultion no 443 dated 29.05.2019	157500
Sh. Kittu Ram Saffai Staff	1.7.2019	Appointed on Daily Basis for Saffai Work vide resoultion no 443 dated	157500

		29.05.2019	
Sh. Govind Saffai Staff	1.7.2019	Appointed on Daily Basis for Saffai Work vide resoultion no 443 dated 29.05.2019	157500
			₹472500

अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट हुए इसे सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा:-

(ख) नगर पंचायत सचिव को मोबाइल फोन प्रतिपूरक भत्ते के रूप में ₹0.11 लाख का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना व अभिलेख की जाँच में पाया गया कि सचिव नगर पंचायत को मोबाइल फोन प्रतिपूरक भत्ते के रूप में प्रति माह ₹1000/- का भुगतान किया गया था जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग, प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: यू०डी०-एच० (जी°)-(3)-7/86-IV-15817-15867, दिनांक 16.11.2015 के अनुसार यह भुगतान दो माह में एक बार देय था। परिणामस्वरूप नगर पंचायत सचिव को मोबाइल फोन प्रतिपूरक भत्ते के रूप में निम्न विवरण अनुसार ₹10500/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसे नियमो के दृष्टिगत या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएI इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा :-

Voucher /Date	Period of which Mobile allowance paid	Amount per month paid	Amount admissible	Excess amount

		(₹)	(₹)	paid (₹)
296/02-04-2018	21	1000	500	500
432/01-09-2018	44	1000	500	500
476/03-11-2018	51	1000	500	500
506/01-12-2018	56	1000	500	500
530/01-01-2019	60	1000	500	500
566/01-02-2019	64	1000	500	500
602/01-03-2019	69	1000	500	500
35/01-05-2019	78	1000	500	500
70/01-06-2019	83	1000	500	500
109-01-07-2019	89	1000	500	500
137/01-08-2019	93	1000	500	500
176/02-09-2019	5	1000	500	500
202/01-10-2019	10	1000	500	500
246-01-11-2019	16	1000	500	500
277/02-12-2019	21	1000	500	500
306/01-01-2020	26	1000	500	500
334/01-02-2020	30	1000	500	500
361/02-03-2020	35	1000	500	500
09/01-04-2020	39	1000	500	500
29/01-05-2020	43	1000	500	500
48/01-06-2020	47	1000	500	500
	Total	**21000**	**10500**	**10500**

(ग) गलत वेतन निर्धारण के कारण कर्मचारियो को ₹1.82 लाख के वेतन व भतों का अधिक भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin (PR)-B(7) -64/2010 loose दिनांक 27.9.2012 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सफाई कर्मचारियो को 2 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर ₹1650 की grade pay देय थी परंतु अंकेक्षण के दौरान कर्मचारियो की सेवा पंजिकाओं की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक 1.1.2011 को हुई थी

तथा उक्त वर्णित नियमानुसार उन्हें दिनांक 1.1.2013 से 2 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर ₹1650 की grade pay देय बनती थी परंतु नियमों के प्रतिकूल इन कर्मचारियो को दिनांक 1.10.2012 से ₹1650 की grade pay तथा दिनांक 1.1.2015 से 4th year Assured carrier progression scheme (4-9-14) का अनियमित लाभ प्रदान किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin (PR)-B(7) -64/2010 दिनांक 26.2.2013 के अनुसार 4 वर्ष की वेतन वृद्धि देय नहीं बनती थी क्योकि कर्मचारी को 1.10.2012 से ₹1650 की grade pay का लाभ प्रदान किया जा चूका था जिस कारण अवधि 1.10.2012 से 31.7.2021 के दौरान कर्मचारीयो को ₹182079/ (60693 /- प्रति कर्मचारी) का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट "ङ"** पर पर सलंगन किया गया है I इसके अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा 1.1.20018 को कर्मचारियो को अनियमित रूप से 1900 Grade pay का लाभ भी प्रदान किया गया था जिसे या तो नियमो के दृष्टिगत न्यायोचित ठ्हराया जाए अन्यथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से वेतन निर्धारण संशोधित करके नियमानुसार अधिक वेतन भुगतान की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए **I** इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा :-

Name & Designation of employee	**Date**	**pay drawn as per service book/pay bills**	**pay to be drawn as per audit (₹)**	**Remarks**
Smt. Kusum lata Sh.Deep Ram & Sh.Amar Chand Saffai Staff	1.1.2011	4900+1300=6200	4900+1300=6200	pay on appointment
	1.1.2012	5090+1300=6390	5090+1300=6390	Pay after annual increment
	1.10.2012	5090+1650=6740	5090+1300=6390	G.P given Irruglarly
	1.1.2013	5300+1650=6950	5090+1650=6740	Pay should be after G.P of Two Years Service
	1.1.2013	5300+1650=6950	5300+1650=6950	Pay after annual

				increment
	1.1.2014	5510+1650=7160	5510+1650=7160	Pay after annual increment
	1.1.2015	5960+1650=7610	5730+1650=7380	pay drawn after 4 Year increment irruglarly given
	1.1.2016	6190+1650=7840	5960+1650=7610	Pay after annual increment
	1.1.2017	6430+1650=8080	6190+1650=7840	Pay after annual increment
	1.1.2018	6680+1650=8330	6430+1650=8080	Pay after annual increment
	1.10.2018	6670+1900=8570	6430+1650=8080	Grade pay Hike 1650 to 1900 Irragularly
	1.1.2019	6920+1900=8820	6680+1650=8330	Pay after annual increment
	1.1.2020	7190+1900=9090	6930+1650=8580	Pay after annual increment
	1.1.2020	7190+1900=9090	7190+1650=8840	pay After A.C.P.S after 9 Years Service. shown in Service Book.
	1.1.2021	7470+1900=9370	7460+1650=9110	Pay after annual increment

(घ) कर्मचारियों के अवकाश खातों को पूर्ण न करना

केन्द्रीय सेवा नियम (अवकाश) 1972 के नियम 26(1)(a)(i) के प्रावधान के अनुसार कर्मचारियों के अवकाश खातों को प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी एवं प्रथम जुलाई को दो किश्तों में अग्रिम जमा प्रदान करते हुये पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत के कर्मचारियों की सेवा पंजिकायों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न कर्मचारियों के संदर्भ में अवकाश खातों को पूर्ण नहीं किया गया है जोकि अनियमित है। अत: कर्मचारियों के अवकाश खातों को पूर्ण न करने बारे औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित प्रकरणों में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए

तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा :-

Sr. No	Name of employee	Designation	Period for which H.P.L. leave account not Completed
1	Sh. Joginder Singh	peon	1.1.2014 to 31.3.2021
2	Smt. Kusum Lata	Saffai staff	1.1.2017 to 31.3.2021
3	Sh. Matu Ram	Saffai staff	1.1.2018 to 31.3.2021
4	Sh. Deep Ram	Saffai staff	1.1.2018 to 31.3.2021

(ड़) कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का नियमानुसार उचित रख रखाव न करना

हिमाचल प्रदेश वितीय नियम 1971 के नियम 7.14 एवम 7.15 के प्रावधानो के अनुसार सेवा पंजिकाओं में कर्मचारियो से संबन्धित विवरण जैसे कि अर्जित अवकाश स्वीकृति आदेश, वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश ,तबादला आदेश, पदोन्नति आदेश,सेवाकाल सत्यापन की प्रविष्टियाँ दर्ज करके सत्यापित की जानी अपेक्षित है I अंकेक्षण के दौरान कर्मचारियो की सेवा पंजिकाओं की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार कर्मचारियो की सेवा पंजिकाओं का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा था जोकि गम्भीर अनियमितता है क्योंकि इसके अभाव में कर्मचारियों को वेतन देयता की सत्यापना सम्भव नहीं हो पाती I अत: कर्मचारियो की सेवा पंजिकाओं का रख रखाव नियमानुसार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित प्रकरणों में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा :-

Sr. No	Name of employee	Designation	Remarks
1	Sh.Hari Kapoor	Jr. Assistant	Annual increment order not Mentioned in Service

			book and other enteries reg. pay fixation have not been verified by the Competent Authority in column no 9.
2	Sh. Kamal Kant	Junior Engineer	Annual increment order not Mentioned in Service book and other enteries reg. pay fixation have not been verified by the Competent Authority in column no 9.
3	Sh. Joginder Singh	peon	Annual increment order not Mentioned in Service book and other enteries reg. pay fixation have not been verified by the Competent Authority in column no 9.
4	Smt. Kusum Lata	Saffai staff	Annual increment order not Mentioned in Service book and other enteries reg. pay fixation have not been verified by the Competent Authority in column no 9.
5	Sh. Amar Chand	Saffai staff	Annual increment order not Mentioned in Service book and other enteries reg. pay fixation have not been verified by the Competent Authority in column no 9.
6	Sh. Matu Ram	Saffai staff	Annual increment order not Mentioned in Service book and other enteries reg. pay fixation have not been verified by the Competent Authority in column no 9.
7	Sh. Deep Ram	Saffai staff	Annual increment order not Mentioned in Service book and other enteries reg. pay fixation have not been verified by the Competent Authority in column no 9.

14 लोक सम्पर्क विभाग,हिमाचल प्रदेश के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों हेतु किए गए भुगतानों से 15% कमीशन की कटौती न करने कारण ₹0.11 लाख की राजस्व हानि

सूचना एंव लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या -2006/01-15 pub-92-14263 दिनांक 30-08-2006 व पत्र संख्या 1 &PR-H(F)-4(APP)/2013 दिनांक 5-7-2013 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त विभागो,बोर्ड,कार्पोरेशन द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले

सभी प्रकार के विज्ञापन, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से छपवाये जाने आवश्यक है तथा विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से न छपवाये जाने की स्थिति में विज्ञापन हेतु भुगतान की जाने वाली राशि मे से 15% कमीशन के रूप में कटौती करके हि. प्र. सरकार के आय शीर्षक 0220-60-300 में जमा करवाया जाना आपेक्षित है। अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न व्यय वाउचरो की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु ₹74634 का भुगतान सीधे विभिन्न फर्मों को किया गया था परन्तु सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के उपरोक्त पत्र में वर्णित अनुदेशों के अनुसार नगर पंचायत द्वारा विज्ञापन पर व्यय/भुगतान राशि मे से अपेक्षित 15% की दर से कमीशन की कटौती करके ₹11195 (₹74634 X 15%= ₹11195) की राशि जमा नहीं करवाई गई थी जिसके कारण हिमाचल प्रदेश सरकार को परोक्ष रूप से ₹11195/- के राजस्व हानि हुई है जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त वर्णित अनुदेशानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा :-

Detail of Advertisements Expenditure				
Voucher no /Date	**Cash Book Page No.**	**Amount (₹)**	**To Whom Paid**	**Purpose**
362/26-05-2018	29	10000	Divya Himachal	Publication of Achievement of Nagar Panchayat Narkanda
364/26-05-2018	29	10500	Punjab Kesari	Publication of Achievement of Nagar Panchayat Narkanda
372/01-06-2018	32	5000	Himachal Dustak	Publication of Achievement of Nagar Panchayat Narkanda
467/06-10-2018	49	2696	Himachal Dustak	Publication of tenders of Nagar Panchayat Narkanda

536/01-01-2019	60	5000	Himachal Dustak	Publication of Achievement of Nagar Panchayat Narkanda
576/01-02-2019	64	3028	Himachal Dustak	Advertisement bill of door to door garbage collection
77/01-06-2019	84	7000	Himachal Dustak	Publication of Achievement of Nagar Panchayat Narkanda
78/01-06-2019	84	11914	Divya Himachal	Publication of Achievement of Nagar Panchayat Narkanda
115/01-07-2019	89	5250	Punjab Kesari	Publication of Achievement of Nagar Panchayat Narkanda
141/01-08-2019	93	5046	Himachal Dustak	Publication of Achievement of Nagar Panchayat Narkanda
178/02-09-2019	6	4200	Punjab Kesari	Publication of Achievement of Nagar Panchayat Narkanda
213/10-12-2020	74	5000	Himachal Dustak	Publication of Achievement of Nagar Panchayat Narkanda
	Total	**74634**		

15 निर्माण कार्य

15.1 विभिन्न निर्माण कार्यों में अनुबन्ध की मद i.e.P/L heavy duty inter lock pavers M-60 grade की प्रमात्रा की गलत माप/गणना के कारण संविदाकार को ₹0.45 लाख का अधिक भुगतान

निर्धारित मानको के अनुसार **CCInter Lock Paver Tiles** के प्रकरण में **CCInter Lock Paver Tiles** को मजबूती प्रदान किए जाने के लिए **CCInter Lock Paver Tiles** के दोनों तरफ CC 1:3:6 की लेयर डाली जाती हैं जिससे **CCInter Lock Paver Tiles** को दोनों तरफ से पकड़ मिल सके। इस प्रकार जिस मात्रा के लिए CC 1:3:6 निष्पादित की जायेगी वहाँ पर **CCInter Lock Paver Tiles** नहीं लगाई जायेगी। अत: वर्णित निर्माण कार्य में CC 1:3:6 की निष्पादित कार्य मात्रा को **CCInter Lock Paver Tiles** की निष्पादित कार्य प्रमात्रा मे से कम करके, **CCInter Lock Paver Tiles** की मात्रा का भुगतान संविदाकार को किया जाना चाहिए था किन्तु उपरोक्त निर्माण कार्य बिल का अंकेक्षण करने पर पाया गया

कि अनुबन्ध की कार्य मद. **"P/L cement concrete 1:3:6 side packing for Pavers"** जिस मात्रा में निष्पादित की गई थी उसी मात्रा के लिए अनुबन्ध की मद **i.e. P/L heavy duty inter lock pavers M-50 grade** का भी भुगतान किया गया था जो कि तय मानकों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अतः इस प्रकार संविदाकार को विभिन्न निर्माण कार्यों में अनुबन्ध की मद संख्या. **P/L heavy duty inter lock pavers M-50 grade** हेतु निम्न विवरणानुसार ₹45324 (40812+4512) का अधिक भुगतान किया गया था जिसको या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा :-

(क) कार्य का नाम	Providing Inter lock Pavers In Ward No-7
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	7/ 1
वाउचर संख्या व दिनांक /राशि	224/18.10.2019/301616
अनुबंध संख्या/आबंटन पत्र संख्या	NP/ works / Nkd 2019/ 537 dated 30.9.2019
संविदाकार का नाम	Sh. Kioshori Lal
रनिंग बिल संख्या	1st Running and Final bill

Detail of Items	Item No	Qty.	Rate (₹)	Total Amount (₹)
Qty. of item No. 2 i.e P/L heavy duty inter lock pavers M50 (80mm Thick) grade Paid & Executed up to 1st & Final bill as MB No. 07 Page.No.1	2	139.10 m^2	1900.00 per m^2	264290.00
Qty. of item No. 1 i.e P/L CC 1:3:6 for side packing paid & Executed up to 1st & Final Bill as MB No. 7 P.No.1(including Base before pavers Different Calculation)	1	10.369 m^3		

Qty. of item No. 1 i.e P/L CC 1:3:6 for side packing that should be deducted from the Item No. 2 i.e P/L heavy duty inter lock pavers M-50 grade before making the payment to the Contractor. 21.48m2 (Different Calculation thickness taken 0.10 in side packing or 0.23 in Middle Packing of Path)		21.48 m^2		
Net Qty. of Item No. 1 i.e P/L heavy duty inter lock pavers M-50 grade Paid up to 1st and Final bill (139.10m2 -21.48 m^2)		117.62 m^2	1900.00 per m^2	223478
Excess payment made to Contractor in respect of item No. 2 i.e P/L heavy duty inter lock pavers M-50 grade up to 1st &final bill (Rs 21.48 m2 @1900)				**40812**

(ख) कार्य का नाम — Providing Inter lock Pavers In Park Behind Jain Shoping Complex.

माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या — 7/ 83

वाउचर संख्या व दिनांक /राशि — 148/1.10.2020/142508

अनुबंध संख्या/आबंटन पत्र संख्या — NP/ works / Nkd 2020/ 210 dated 02.08.2020

संविदाकार का नाम — Sh. Rajesh Kumar

रनिंग बिल संख्या — 1st Running bill

Detail of Items	**Item No**	**Qty.**	**Rate (₹)**	**Total Amount (₹)**
Qty. of item No. 2 i.e P/L heavy duty inter lock pavers M-50 Thickness 60mmm) grade Paid & Executed up to 1st Running Bill bill as MB No. 07 Page.No.83	2	86.59 m^2	1600.00 per m^2	138544.00
Qty. of item No. 3 i.e P/L CC 1:3:6 for side packing paid & Executed up to 1st Running Bill as MB No. 7 P.No.84 (	3	0.282 m^3		

Different Calculation)				
Qty. of item No. 3 i.e P/L CC 1:3:6 for side packing that should be deducted from the Item No. 2 i.e P/L heavy duty inter lock pavers M-50 grade before making the payment to the Contractor. 2.82m2 (0.282 of 1:3:6 x10 because Depth not taken for m2		$2.82m^2$		
Net Qty. of Item No. 2 i.e P/L heavy duty inter lock pavers M-50 grade Paid up to 1st and Final bill ($86.59 - 2.82m^2$)		$83.77\ m^2$	1600.00 per m^2	134032
Excess payment made to Contractor in respect of item No. 2 i.e P/L heavy duty inter lock pavers M-60 grade up to 1st Running bill (Rs2.82 m2 @1600)				**4512**

15.2 निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु अनुबन्धित दर की अपेक्षा अधिक दर से भुगतान करने के कारण संविदाकार को ₹0.13 लाख का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	Const of P.C.C Wall Near kanthala Field ward No -1
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	7/13
वाउचर संख्या व दिनांक /राशि	NP/Works/ NKD 2019-458 dated 2.9.2019
संविदाकार का नाम	Summit Rathour
वाऊचर संख्या/दिनांक /राशि	232 दिनांक 22.10.2019 ₹ 139348

उपरोक्त निर्माण कार्य के भुगतान वाऊचर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कार्य मद संख्या 3 i.e. P/L cement cancrete1:4:8 in foundation and Plinth के निष्पादन हेतु अनुबन्धित दर की अपेक्षा अधिक दर से भुगतान करने के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹13480/- का अधिक भुगतान किया गया जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित

करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा:-

मद का नाम	निष्पादित की गई मात्रा	निष्पादन हेतु अनुबन्धित दर (₹)	निष्पादन हेतु भुगतान की दर (₹)	भुगतान दर में अन्तर (₹)	अधिक भुगतान राशि (₹)
P/L cement cancrete1:4:8 in foundation and Plinth	25.875m3	4500 per cum	5021 per cum	521 per cum	13480

15.3 निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु अनुबन्धित दर की अपेक्षा अधिक दर से भुगतान करने के कारण संविदाकार को ₹171/- का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	Repair Of Path near PHC Narkanda
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	7/4
वाउचर संख्या व दिनांक /राशि	NP/Works/ NKD 2019-462 dated 2.9.2019
संविदाकार का नाम	Rajesh Kumar
वाऊचरु संख्या/दिनांक /राशि	225 दिनांक 18.10.2019 ₹92650

परोक्त निर्माण कार्य के भुगतान वाऊचर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कार्य मद संख्या 2 i.e. P/L cement cancrete1:3:6 के निष्पादन हेतु अनुबन्धित दर की अपेक्षा अधिक दर से भुगतान करने के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹171/- का अधिक भुगतान किया गया जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा:-

मद का नाम	निष्पादित की गई मात्रा	निष्पादन हेतु अनुबन्धित दर (₹)	निष्पादन हेतु भुगतान की दर (₹)	भुगतान दर में अन्तर (₹)	अधिक भुगतान राशि (₹)
P/L cement cancrete1:3:6	8.544m3	4300percum	4320 percum	20 per cum	171

15.4 माप पुस्तिका में दर्ज निर्माण कार्य की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को ₹0.14 लाख का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	Providing P.C.C Wall in curve of G.D Field Ward no -1
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	5/91
वाउचर संख्या व दिनांक /राशि	NP/Works/ NKD 2018-676 dated 23.4.2018
संविदाकार का नाम	Mohan Musafir
वाऊचर संख्या	349 दिनांक 19.5.2018 ₹86241

उपरोक्त भुगतान वाऊचर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कार्य मद संख्या: 3 "P/L Cement Cencrete 1:4:8in Foundation &Plinth" की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की माप पुस्तिका में गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹14360/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या R-206/2018 दिनांक 17.11.2018 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत ने पत्र संख्या 917 दिनांक 26.11.2018 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त प्रकरण में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी :–

निर्माण कार्य मद का नाम	माप पुस्तिका अनुसार गणना	अंकेक्षण अनुसार गणना	अन्तर	भुगतान की दर (₹)	अधिक भुगतान की राशि (₹)
"P/L Cement Cencrete 1:4:8in Foundation & Plinth"	22.79m3	18.79 m3	$4.0m^3$	3590/- प्रति घन मी.	14360.00

15.5 (क) निर्माण कार्य मद संख्या 4 i.e. Random Rubble Masanory/polyground Rubble Massonary in brest Wall, मद संख्या 2 i.e Exavation In Earth work की तुलना में Random Rubble Masanory के निष्पादन हेतु निर्धारित लम्बाई अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹490/- का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	Const. of Park Behind Shoping Complex Narkanda (Sub Head approach Road)
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	5/98
वाउचर संख्या व दिनांक /राशि	NP/Works/ NKD 2018-641 dated 11.4.2018
संविदाकार का नाम	Summit Rathour
वाऊचर संख्या	355 दिनांक 22.5.2018 ₹135842

परोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या 4 i.e. Random Rubble Masanory/polyground Rubble Massonary in brest Wall, के निष्पादन की माप पुस्तिका में दर्ज रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि Retaining Wall हेतु Random Rubble Masanory की लम्बाई 4.70 मीटर ली गई जबकि मद संख्या 2 i.e Exavation In Earth work हेतु लम्बाई 4.50 मीटर ली गई जिस कारण मद संख्या 4 i.e. Random Rubble Masanory हेतु 0.20 मीटर अधिक लम्बाई लिए जाने के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹490.00 का अधिक भुगतान किया गया था क्योकि जिस क्षेत्र में Exavation की मात्रा का निष्पादन किया गया था उसी क्षेत्र में ही मद संख्या 4 i.e. Random Rubble Masanory/ का निष्पादन किया जाना अपेक्षित था I अत: 0.20 मीटर अधिक लम्बाई लिए जाने के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹490.00 के अधिक भुगतान को या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764

दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा:-

Name of Item /Item no.	Qty Executed & Paid	Qty as per Audit	Excess Qty	Rate (₹)	Total Excess payment (₹)	Remarks
Random Rubble Masanory/polyground Rubble Massonary in brest Wall (4)	2.2*0.60* 1.20= 1.58 m3	2*0.60* 1.20= 1.44m3	0.14 m3	3500	490	0.20 mtr excess lenth taken in R.R.Masonary& Exavation taken in 4.5.mtr and difference of 0.20 mtr in 2nd R.D. first R.D of R.R masonary as per Exavation taken

(ख) माप पुस्तिका में निर्माण कार्य की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को ₹215/- का अधिक भुगतान

उपरोक्त भुगतान वाऊचर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कार्य मद संख्या: 1 "Cutting In Earth Work Pick and Jumper Work including all Lead &Lifts " कि माप पुस्तिका में दर्ज निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹215/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा:-

निर्माण कार्य मद का नाम	माप पुस्तिका अनुसार गणना	अंकेक्षण अनुसार गणना	अन्तर	भुगतान की दर (₹)	अधिक भुगतान की राशि (₹)
Cutting In Earth Work Pick and Jumper Work	12.03m3	10.71 m3	$1.32m^3$	163/- प्रति घन मी.	215.00

including all Lead &Lifts					

15.6 माप पुस्तिका में निर्माण कार्य की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त भुगतान वाऊचर का अंकेक्षण करने पर पाया कि कार्य मद संख्या: 2

कार्य का नाम	Const. of Park at Manahwar Temple
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	6/4
वाउचर संख्या व दिनांक /राशि	NP/Works/ NKD 2018-690 dated 28.4.2018
संविदाकार का नाम	Tarun Gupta
वाऊचर संख्या	357 दिनांक 22.5.2018 ₹159065

"Steel Work In Build up Section " की माप पुस्तिका में दर्ज निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹2405/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा:-

निर्माण कार्य मद का नाम	माप पुस्तिका अनुसार गणना	अंकेक्षण अनुसार गणना	अन्तर	भुगतान की दर (₹)	अधिक भुगतान राशि (₹)
Steel Work In Build up Section	1809.34 k.g	1780.00k.g	29.34 k.g	82/per k.g	2405

15.7 माप पुस्तिका में निर्माण कार्य की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	Const. of Park Behind Shoping Complex Narkanda (Sub Head Stone Soling C.C florring)

माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	7/6
आबंटन पत्र संख्या	NP/Works/ NKD 2019-567 dated 5.10.2019
संविदाकार का नाम	Rajesh Kumar
वाउचर संख्या व दिनांक /राशि	225दिनांक 18.10.2019 ₹178727

उपरोक्त भुगतान वाऊचर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कार्य मद संख्या: 4 "Random Rouble Masonarry 1:6 in wall" की माप पुस्तिका में दर्ज निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹3524/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या R-206/2018 दिनांक 17.11.2018 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत ने पत्र संख्या 917 दिनांक 26.11.2018 द्वारा सूचित किया कि उक्त प्रकरण में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी: –

निर्माण कार्य मद का नाम	माप पुस्तिका अनुसार गणना	अंकेक्षण अनुसार गणना	अन्तर	भुगतान की दर (₹)	अधिक भुगतान राशि (₹)
Random Rouble Masonaryin 1:6 in wall	13.757m3	12.75 m3	1.007m3	3500/- प्रति घन मी.	3524.00

15.8 माप पुस्तिका में निर्माण कार्य की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त भुगतान वाऊचर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कार्य मद संख्या: 6

कार्य का नाम	Const. of community bhawan Mela ground Narkanda .
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	7/11
आबंटन पत्र संख्या	NP/Works/ NKD 2019-586 dated 5.10.2019
संविदाकार का नाम	Rajeev Thakur
वाउचर संख्या व दिनांक /राशि	231 दिनांक 22.10.2019 ₹ 266819

“Providing Of wood work in purlins” व मद संख्या: 8 “Providing ridges of Hips 60 c.m ” “की माप पुस्तिका में दर्ज निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹1018/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर–87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा:-

निर्माण कार्य मद का नाम	माप पुस्तिका अनुसार गणना	अंकेक्षण अनुसार गणना	अन्तर	भुगतान की दर (₹)	अधिक भुगतान की राशि (₹)
Providing Of wood work in purlins	2.239 m3	2.229 m3	$0.01m^3$	24862/- प्रति घन मी.	248.00
Providing ridges of Hips 60 c.m ”	38.56 Rmt	37.56 Rmt	1Rmt	770 Rmt	770
				Total	**1018**

15.9 माप पुस्तिका में दर्ज निर्माण कार्य की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को ₹0.09 लाख का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	Const. of Road near Gas Store .
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	7/18
आबंटन पत्र संख्या	NP/Works/ NKD 2019-554 dated 3.10.2019

संविदाकार का नाम Rajeev Thakur

वाउचर संख्या व दिनांक /राशि 235 दिनांक 22.10.2019 ₹ 109416

उपरोक्त भुगतान वाऊचर का अंकेक्षण करने पर पाया कि कार्य मद संख्या: 1 "Cutting In Earth Work In all leads and lifts " "की माप पुस्तिका में दर्ज निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹8582/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा:-

निर्माण कार्य मद का नाम	माप पुस्तिका अनुसार गणना	अंकेक्षण अनुसार गणना	अन्तर	भुगतान की दर (₹)	अधिक भुगतान राशि (₹)
Cutting In Earth Work In all leads and lifts	1872.60m3	1798.10 m3	74,50 m3	115.20/- प्रति घन मी.	8582.00
				Total	**8582.00**

15.10 माप पुस्तिका में दर्ज निर्माण कार्य की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान

कार्य का नाम Const. of Sunder negi House ward no-2 .

माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	6/100
आबंटन पत्र संख्या	NP/Works/ NKD –2019-766 dated 2.9.2019
संविदाकार का नाम	Summit Rathour
वाउचर संख्या व दिनांक /राशि	222 दिनांक 17.10.2019 ₹ 193136

उपरोक्त भुगतान वाऊचर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कार्य मद संख्या: 2 "Random Rouble Masonarry 1:6 in steps" "की माप पुस्तिका में दर्ज निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹1332/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा:-

निर्माण कार्य मद का नाम	माप पुस्तिका अनुसार गणना	अंकेक्षण अनुसार गणना	अन्तर	भुगतान की दर (₹)	अधिक भुगतान राशि (₹)
Random Rouble Masonarry 1:6 in steps	51.32 m3	50.95 m3	$0.37m^3$	3600/- प्रति घन मी.	1332.00
				Total	**1332.00**

15.11 (क) कार्य मद संख्या 2 i.e ProvidingForm Work In Steel Plates 3.15 thickness के बिना निर्माण कार्य मद संख्या 3 P/L Cement Cencrete 1:4:8 के निष्पादन हेतु संविदाकार को ₹0.16 लाख का अनियमित निष्पादन भुगतान

कार्य का नाम	Const. of P.C.C Wall at Curve naresh kanthala field ward no-1 Phase -ii .
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	7/74
आबंटन पत्र संख्या	NP/Works/ NKD –2020-136 dated 14.7.2020
संविदाकार का नाम	Mohan Musaffir
वाऊचर संख्या	147 दिनांक 1.10.2020 ₹ 100596

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या **3 i.e. P/L Cement Cencrete 1:4:8** के निष्पादन की माप पुस्तिका में दर्ज रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि P.C.C Wall हेतु मद संख्या 3 i.e. P/L Cement Cencrete 1:4:8 की लम्बाई 5.40 मीटर हेतु बिना Form Work के भुगतान किया गया जबकि उक्त मात्रा के निष्पादन हेतु पहले Form work का निष्पादन किया जाना अपेक्षित था तत्पश्चात **P/L** Cement Cencrete 1:4:8 हेतु भुगतान किया जा सकता था बिना Form Work के P/L Cement Cencrete 1:4:8 हेतु निम्न विवरण अनुसार ₹16170 का भुगतान अनियमित/संदिग्ध प्रतीत होता है जिसे पूर्ण छानबीन उपरान्त या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा:-

Name of Item /Item no.	Qty Executed & Paid	Rate (₹)	Total Excess payment	Remarks

			(₹)	
P/L Cement Cencrete 1:4:8/3	2.70*0.9*.45+1.2/2= 2m3 2.7*0.60*1.20=1.944m3 3.944m3 (2m3+1.944m3)	4100	16170	Cement Cencrete 1:4:8 3.944m3 paid without Form Work but in Other R.D of 1:4:8 Paid after Form Work

(ख) माप पुस्तिका में निर्माण कार्य की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त भुगतान वाऊचर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कार्य मद संख्या: 3 "P/L 1:4:8 in Foundation and Plinth " "की माप पुस्तिका में दर्ज निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹1541/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या R-206/2018 दिनांक 17.11.2018 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत ने पत्र संख्या 917 दिनांक 26.11.2018 द्वारा सूचित किया कि उक्त प्रकरण में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी :–

निर्माण कार्य मद का नाम	माप पुस्तिका अनुसार गणना	अंकेक्षण अनुसार गणना	अन्तर	भुगतान की दर (₹)	अधिक भुगतान की राशि (₹)
P/L 1:4:8 in Foundation and Plinth	22.842 m3	22.466 m3	0.376 m^3	4100/- प्रति घन मी.	1541.00
				Total	**1541.00**

15.12 निर्माण कार्य मद संख्या 2 i.e. P/L Cement Cencrete 1:3:6 के निष्पादन में अधिक चौड़ाई लेने के कारण संविदाकार को ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान

कार्य का नाम — Const. of Shed For Bailing Machine

माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या — 7/77

आबंटन पत्र संख्या	NP/Works/ NKD –2020-248 dated 14.9.2020
संविदाकार का नाम	Summit Rathour
वाउचर संख्या व दिनांक /राशि	153 दिनांक 1.10.2020 ₹ 152205

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या **2 i.e. P/L Cement Cencrete 1:3:6** के निष्पादन की माप पुस्तिका में दर्ज रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि P.C.C Wall हेतु मद संख्या 2 i.e. **P/L Cement Cencrete 1:3:6** की चौड़ाई 0.15 मीटर अधिक लिए जाने के कारण निम्न विवरणअनुसार संविदाकार को ₹7121 का अधिक भुगतान किया गया जबकि उक्त P.C.C wall के first step हेतु चौड़ाई 0.60 मीटर ली गई तथा 2nd व 3rd step हेतु चौड़ाई 0.75 मीटर ली गई जबकि 2nd व 3rd step हेतु चौड़ाई first step के पश्चात 0.60 मीटर ही ली जानी अपेक्षित थी I अतः वर्णित अनियमितता को या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा:-

निर्माण कार्य मद का नाम/संख्या	माप पुस्तिका अनुसार गणना	अंकेक्षण अनुसार गणना	अन्तर	भुगतान की दर (₹)	अधिक भुगतान की राशि (₹)
P/L Cement Cencrete 1:3:6 /2	5.20*.75*1.30=5.07m3 5.20*.75*0.90=3.51m3	5.20*.0.60*1.30=4.056m3	1.716	4150/- प्रति घन	7121.00

	=8.58m3(5.07m3+3.51m3)	5.20*.0.60*0.90= 2.808m3 =6.864m3(4.056m3 +2.808m3)		मी.	
				Total	**7121.00**

15.13 माप पुस्तिका में निर्माण कार्य की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	Const. of wall Behind P.H.C Narkanda
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	7/71
आबंटन पत्र संख्या	NP/Works/ NKD -2020-97 dated 6.3.2020
संविदाकार का नाम	Rajesh Kumar
वाउचर संख्या व दिनांक /राशि	151 दिनांक 1.10.2020 ₹ 81565

उपरोक्त भुगतान वाऊचर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कार्य मद संख्या: 1 "Random Rouble Masonarry 1:6 in Retaing wall " "की माप पुस्तिका में दर्ज निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹1802/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा:-

निर्माण कार्य मद का नाम	माप पुस्तिका अनुसार गणना	अंकेक्षण अनुसार गणना	अन्तर	भुगतान की दर (₹)	अधिक भुगतान की राशि (₹)
Random Rouble Masonarry 1:6 in Retaing wall	19.17 m3	19.70 m3	$0.53m^3$	3400/- प्रति घन मी.	1802.00
				Total	**1802.00**

15.14 माप पुस्तिका में निर्माण कार्य की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	providing Floor tiles Penaling Secretary office
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	7/66
आबंटन पत्र संख्या	NP/Works/ NKD –2020-240 dated 14.9.2020
संविदाकार का नाम	Summit Rathour
वाउचर संख्या व दिनांक /राशि	149 दिनांक 1.10.2020 ₹ 84994

उपरोक्त भुगतान वाऊचर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कार्य मद संख्या: 2 "providing and Fixing Penaling in Office" "की माप पुस्तिका में दर्ज निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹1335/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा:-

निर्माण कार्य मद का नाम	माप पुस्तिका अनुसार गणना	अंकेक्षण अनुसार गणना	अन्तर	भुगतान की दर (₹)	अधिक भुगतान की राशि (₹)

providing and Fixing Penaling in Office	35.39 m2	34.50 m2	0.89m^2	1500/- प्रति घन मी.	1335.00
				Total	**1335.00**

15.15 माप पुस्तिका में निर्माण कार्य की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को ₹478/- का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	Const. of P.C.C near Sukesh House
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	7/75
आबंटन पत्र संख्या	NP/Works/ NKD –2020-214 dated 28.8.2020
संविदाकार का नाम	Summit Rathour
वाउचर संख्या व दिनांक /राशि	152 दिनांक 1.10.2020 ₹ 117617

उपरोक्त भुगतान वाऊचर का अंकेक्षण करने पर पाया कि कार्य मद संख्या: 1 "Cutting in earth work ipick and jumpoer work in all lead and lifts " "की माप पुस्तिका में दर्ज निष्पादित कार्य प्रमात्रा गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹478/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा:-

निर्माण कार्य मद का नाम	माप पुस्तिका अनुसार गणना	अंकेक्षण अनुसार गणना	अन्तर	भुगतान की दर (₹)	अधिक भुगतान राशि (₹)
Cutting in earth work ipick and jumpoer work in all lead and lifts	21.76 m3	19.10 m3	2.66m^3	180/- प्रति घन मी.	478.00
				Total	**478.00**

15.16 माप पुस्तिका में निर्माण कार्य की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	Const. of composite pit near Doja road
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	7/88
आबंटन पत्र संख्या	NP/Works/ NKD –2020-574 dated 5.10.2029
संविदाकार का नाम	Summit Rathour
वाउचर संख्या व दिनांक /राशि	163 दिनांक 28.10.2020 ₹ 51678

उपरोक्त भुगतान वाऊचर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कार्य मद संख्या: 1 "Steel work in Built up section " "की माप पुस्तिका में दर्ज निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹966/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा:-

निर्माण कार्य मद का नाम	माप पुस्तिका अनुसार गणना	अंकेक्षण अनुसार गणना	अन्तर	भुगतान की दर (₹)	अधिक भुगतान राशि (₹)
Steel work in Built up section in steps	271.50k.g	261.44k.g	10.06 k.g	96 per k.g.	966.00
				Total	**966.00**

15.17 विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु Steel convrsion factor गलत लगाए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.10 लाख का अधिक भुगतान

अनुबंध की कार्य मद संख्या **Steel work welded in build up section** के संदर्भ में माप पुस्तिका में दर्ज निष्पादित एवं भुगतान की गई मात्रा का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि **Steel convrsion factor गलत लगाए जाने के कारण** संविदाकार को निम्न विवरणानुसार कुल 10235/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसे या तो न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा:-

Name Of Work	**Name of Item/ item No**	**M.B. No/Page No**	**Name of sub item**	**Calculation as per M.B**	**Calculation as Per Audit**	**Difference**	**Rate**	**Excess Paid (Rs)**
Const. of M.R.F Site –ii with Iron Angel ward no -5	steel work in single section / item no 3	7/68	angel 40*40*5	6*2.10*3.10= 40.10kg	6*2.10*3.00 =37.8k.g	2.3 k.g	95	218
Const. of M.R.F Site –ii with Iron Angel ward no -5	steel work in single section / item no 3	7/68	Hollow Pipe 40*40*2	6*10.70*2.70 =173.34k.g 2*10.70*2.70 =57.78 k.g =231.12 k.g	6*10.70*2.31=148.30k.g 2*10.70*2.31=49.43 k.g =197.73 k.g	33.39	95	3172
Const. of M.R.F Site –ii with Iron Angel ward no -5	steel work in single section / item no 3	7/68	Hollow Pipe 50*50*2	1*10.70*3.50 =37.45 k.g	1*10.70*2.93=31.35 k.g	6.09 k.g	95	579
Const. of Pits at Doja road	steel work in single section / item no	7/88	angel 40*40*5	2*2*3*3.10= 37.2 kg 2*6*1..3*3.1 =48.36k.g	2*2*3*3.00 =36 kg 2*6*1..3*3.00=46.8k.g	5.49 k.g	96	527

	3			1*1.30*3.10= 4.03k.g 2*2*1.95*3.10=24.18k.g 2*2*.95*3.10 =11.78k.g 2*4*1.80*3.10=44.64 k.g =170.19 k.g	1*1.30*3.00 =3.9k.g 2*2*1.95*3.00=23.40k.g 2*2*.95*3.00=11.40k.g 2*4*1.80*3.00=43.20k.g =164.70 k.g			
Const. of Pits at Doja road	steel work in single section / item no 3	7/88	angel 35*35*5	2*2*1.95*.2.80=21.84 k.g 2*2*0.95*2.80=10.64k.g =32.48 k.g	2*2*1.95*.2.60=20.28 k.g 2*2*0.95*2.60=9.88k.g =30.16 k.g	2.32 k.g	96	222
Supply Of Jali Near Lal Koti	steel work in single section / item no 1	6./36	Flat Iron 40*5	22*8*1.50*1.80=475.20 k.g 22*2*0.60*1.80=47.52k.g 522.72 k.g	22*8*1.50*1.60= 422.40k.g 22*2*0.60*1.60=42.24k.g 464.64 k.g	58.08 k.g	95	5517
								10235

15.18 क्रय निर्माण सामग्री से नियमानुसार वाइड्स (voids) की कटौती न किए जाने के कारण संविदाकारों को ₹231/- का अधिक भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु क्रय सामग्री पर निर्धारित दर से voids की कटौती नहीं की गई थी जबकि नियमानुसार रेत की आपूर्ति पर 5%, की दर से voids की कटौती अपेक्षित थी। परिणामस्वरूप अंकेक्षण अवधि के दौरान चयनित माह में क्रय निर्माण सामग्री पर voids की कटौती न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार ₹231/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अधिक

भुगतान ₹ 231/-की उचित स्त्रोत से वसूली करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार ही निर्माण सामग्री पर voids की कटौती करके भुगतान करना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा:-

Voucher No & Date	Name of work	Name of Supplier	Name of item Purchased	Quantity in m^3	Rate of voids	Quantity of voids for which payment made in m^3	Rate Per Cum (`₹)	Amount of excess payment (₹)
307/ 10.4.2018	Departmental work	Summit Rathour	sand	84cft.	5%	4.2cft	55	231
							Grand Total	**231**

15.19 हि0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम से सरकारी दर/'दरसंविदा' की अपेक्षा खुले बाज़ार से सीमेंट क्रय करने के कारण ₹0.05 लाख की वितीय हानि

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभागीय स्तर पर विभिन्न निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम से सीमेंट रियायति सरकारी दर/'दर संविदा' पर क्रय न करके खुले बाज़ार से उच्च दर पर क्रय किया गया था जिसके कारण अंकेक्षण अवधि में निम्न विवरणानुसार सीमेंट की खपत पर ₹5550/- का अधिक व्यय करने पर नगर पंचायत को वितीय हानि हुई है I अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से वर्णित हानि की भरपाई सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा:-

Voucher No and date	No. of bag of cement Purchased	Amount paid (₹)	Rate per bag of Cement Purchasedfrom Open Market (₹)	Rate of Civil SupplyatRohru Depo. per bag (₹)	Difference between Open market rate & Civil	Amount excess Paid (₹)

					Supply Rate (₹ Per bag)	
57/25.5.2019	50	19750	395	284	111	5550
					Total	**5550**

15.20 संविदाकारों के निर्माण कार्य चलित बिलों से वस्तु व सेवाकर ₹0.14 लाख की कटौती न करना

अवधि 1.7.2017 से गुड्स व सर्विस कर लागु होने के पश्चात संविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों से 2% वस्तु व सेवाकर **(1%C.G.S.T + 1% S.G.S.T)** की स्त्रोत से कटौती की जानी अपेक्षित है किन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्धारा निम्न विवरणानुसार संविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों से ₹14404/- **वस्तु व सेवा कर की स्त्रोत से कटौती नहीं की गई थी** जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता है:-

Detail of Goods & Services tax not deducted

Sr.NO	Name of Work	Allotment Letter No.	Voucher No & Date	Gross amount of bill	M.B. No & page no	Name of Contractor	GST Amount not Deducted (Rs)
1	Providing PCC wall in curve of GD field ward no -1	No. NP Works Nkd 2018-676 dated - 23.04.18	349/19. 5.18	86241	M.B No. - 5 page no -92	Rajeev Thakur	1725
2	Providing Floor tiles /panelling /ceilling in secretary office	No. NP Works Nkd 2018dated - 28.04.18	354/22. 5.18	42850	M.B No. - 5 page no -97	Mohan Musafir	857
3	Construction of PCC wall at starting point of road block to Sukesh house RD 0/0 to0/35	No. NP Works Nkd 2018-641dated - 11.4.18	355/22. 5.18	135842	M.B No. - 5 page no -100	Rajeev Thakur	2717
4	Construction of shed for bailing machine	No. NP Works Nkd 2017 dated -	356/22. 5.18	89239	M.B No. - 6 page no -1	Sumit Rathor	1785

		20.12.17					
5	Construction of park at Maneshwar Devta Ground Narkanda pase -1	No. NP Works Nkd 2018-690 dated -28.4.18	357/22. 5.18	169065	M.B No. 6 page no -5	Rajeev Thakur	3381
6	Construction of park of Maneshwar Devta at Narkanda page -1	No. NP Works Nkd 2018-694 dated -28.4.18	358/22. 5.18	196942	M.B No. 6 page no -7	Tarun Gupta	3939
						Total	**14404**

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर– 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा I अत: संविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों से वस्तु व सेवा कर की स्त्रोत पर कटौती न किए जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

15.21 संविदाकारों के निर्माण कार्य चलित बिलों से श्रम उपकर ₹0.23 लाख की स्त्रोत पर कटौती न करना

भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की अनुपालना में कुल निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर पर उन एकाकी रिहायशी आवासों जिनकी कुल निर्माण लागत ₹10 लाख से अधिक नहीं है तथा प्रत्येक स्थापना जो किसी भवन अथवा अन्य निर्माण कार्यों में 10 या अधिक कर्मियों को रोजगार देते हैं, उपकर एकत्रित करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है किन्तु लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार संविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों से श्रम उपकर **₹23334/-** की स्त्रोत पर कटौती नहीं की गई थी जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है:-

Detail Of Labour Cess Not Deducted

Sr. NO.	Name of Work	Allotment Letter No.	Voucher No & Date	Gross amount of bill	M.B. No & page no	Name of Contractor	Amount of Labour Cess Not Deducted (Rs)
1	Providing PCC wall in curve of GD field ward no -1	No. NP Works Nkd 2018-676 dated - 23.04.18	349/19.5 .18	86241	M.B No. -5 page no - 92	Rajeev Thakur	**862**
2	Providing Floor tiles /panelling /ceilling in secretary office	No. NP Works Nkd 2018 dated - 28.04.18	354/22.5 .18	42850	M.B No. -5 page no - 97	Mohan Musafir	**429**
3	Construction of PCC wall at starting point of road block to Sukesh house RD 0/0 to0/35	No. NP Works Nkd 2018-641dated - 11.4.18	355/22.5 .18	135842	M.B No. -5 page no - 100	Rajeev Thakur	**1358**
4	Construction of shed for bailing machine	No. NP Works Nkd 2017 dated - 20.12.17	356/22.5 .18	89239	M.B No. -6 page no -1	Sumit Rathor	**892**
5	Construction of park at Maneshwar Devta Ground Narkanda pase -1	No. NP Works Nkd 2018-690 dated - 28.4.18	357/22.5. 18	169065	M.B No. 6 page no -5	Rajeev Thakur	**1691**
6	Construction of park of Maneshwar Devta at Narkanda page -1	No. NP Works Nkd 2018-694 dated - 28.4.18	358/22.5. 18	196942	M.B No. 6 page no -7	Tarun Gupta	**1969**
7	Construction of steps Near sunder Negi house – Ward no-2	No. NP Works Nkd / 2019/766 dated - 2.9.2019	222/17.1 0.19	193136	M.B No. -6 page no - 93	Sumit Rathor	**1931**
8	Providing interlock from Lal Kothi to dhomdi road ward no -7	No. NP Works Nkd 2019 /537 dated - 30.9.2019	224/18.1 0.19	301618	M.B No. -7 page no -2	Kishori Lal	**3016**
9	Repair of path from PHC Narkanda to KD Sharma house ward no-1	No. NP Works Nkd 2019 /462 dated - 02.09.2019	225/18.1 0.19	92650	M.B No. -7 page no -3	Rajesh Kumar	**927**
10	Construction of park behind shopping complex Narkanda (sub head proving stone soling and CC flooring and side drains	No. NP Works Nkd 2019-567 dated - 05.10.2019	225/18.1 0.19	178727	M.B No. -7 page no -6	Rajesh Kumar	**1787**
11	Extension of ground Govt. senior secondary school Narkanda	No. NP Works Nkd 2019 /578dated - 05.10.2019	280/22.1 0.19	200055	M.B No. -7 page no -9	Rajeev Thakur	**2001**
12	Construction of community bhawan at mela maidan Narkanda	No. NP Works Nkd 2019 /586dated - 05.10.2019	231/22.1 0.19	266819	M.B No. -7 page no - 12	Rajeev Thakur	**2668**

13	Construction of PCC wall In the curve of Kainthla field ward no -1	No. NP Works Nkd 2019 /458 dated - 02.09.2019	232/22.1 0.19	139348	M.B No. -7 page no - 14	Sumit Rathor	**1393**
14	Providing cement concrete Flooring in parking floor in ward no -6	No. NP Works Nkd 2019/571 dated - 05.10.2019	233/22.1 0.19	92107	M.B No. 7 page no - 15	Sumit Rathor	**921**
15	Construction of road from NH-05 to Dogra House ward no-5	No. NP Works Nkd 2019/563 dated - 05.10.2019	234/22.1 0.19	76400	M.B No. 7 page no - 17	Sumit Rathor	**764**
16	Construction of Road Cylender Gas store to Pritam House Ward No-4 by JCB	No. NP Works Nkd 2019/554 dated - 03.10.2019	235/22.1 0.19	19416	M.B No. 7 page no - 18	Rajeev Thakur	**194**
17	Construction of road from BDO office to baubah	No. NP Works Nkd 2019/262 dated - 25.06.2019	236/22.1 0.19	54448	M.B No. 7 page no - 21	Mohan Musafir	**544**
						Total	**23347**

अत: संविदाकारों के निर्माण बिलों से श्रम उपकर की स्त्रोत पर कटौती न किए जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करके भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में जमा करवाई जाए तथा उपरोक्त अधिनियम की निरन्तर अनुपालना भी सुनिश्चित की जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा:-

15.22 संविदाकारों के निर्माण कार्य चलित बिलों से श्रम उपकर ₹0.10 लाख की स्त्रोत पर कटौती राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाना

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि वितीय वर्ष 2020-21 के दौरान ₹10559/- श्रम कर की स्त्रोत पर कटौती तो की गई परन्तु राशि को भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण निगम में जमा नहीं किया गया जिसे नियमों के दृष्टिगत या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा प्राथमिकता के आधार पर अब मामले में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण

अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा:-

Detail of labour Cess Not Deposited						
Sr. NO.	**Name of Work**	**Voucher No & Date**	**Gross amount of bill (Rs)**	**M.B. No & page no**	**Name of Contractor**	**Labour cess not Deposited (Rs)**
1	Construction of PCC wall at curve Naresh Kainthla Field Ward No. -1	147/01.10.20	100596	M.B No. 7 page no - 74	Mohan Musafir	**1006**
2	Construction of MRF Site-II with iron angle and CGI sheet ward No. -5	150/01.10.20	124052	M.B No. 7 page no - 68	Sumit Rathor	**1241**
3	Construction of wall behind primary health center Narkanda	151/01.10.20	81565	M.B No. 7 page no - 72	Rajesh Kumar	**816**
4	Construction of park behind shopping complex Narkanda	148/01.10.20	142508	M.B No. 7 page no - 84	Rajesh Kumar	**1425**
5	Providing Floor tiles /panelling /ceilling in secretary office	149/01.10.20	84994	M.B No. 7 page no - 66	Sumit Rathor	**850**
6	Construction of PCC wall at starting point of road block to Sukesh house RD 0/0 to0/35	152/01.10.20	117617	M.B No. 7 page no - 75	Sumit Rathor	**1176**
7	Construction of shed for bailing machine	153/01.10.20	152205	M.B No. 7 page no - 77	Sumit Rathor	**1522**

8	Construction of park near Pardesi house (Sub head:- construction retailing wall Near rekha mounta house	162/26.10.20	83257	M.B No. 7 page no - 82	Sunil Rajta	**833**
9	Construction of composting pit and MRF site Near dhoja road	163/28.10.20	51678	M.B No. 7 page no - 80	Sumit Rathor	**517**
10	MRF site No.-II with iron angle and CGI sheet dojha road	164/28.10.20	39271	M.B No. 7 page no - 91	Sumit Rathor	**393**
11	Providing Cement concrete over slab Nagar Panchayat shops sunny studio Narkanda	165/28.10.20	77968	M.B No. 7 page no - 92	Rajesh Kumar	**780**
					Total	**10559**

15.23 निर्माण कार्यों के नक्शा सम्बंधित व अन्य विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹30.70 लाख के निर्माण कार्य का निष्पादन करना

हिमाचल प्रदेश Municipal works Rule 2010 के नियम 7 के तहत कार्य को प्रारम्भ करने से पहले विभिन्न औपचारिकताएं प्रावधित है जिसके अनुसार कार्य को प्रारम्भ करने से पहले निर्माण कार्य का Rate of Analysis/Detail Estimate/नक्शा/डिजाइन का अनुमोदन व समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापित करवाया जाना अपेक्षित है किन्तु नगर परिषद द्वारा ₹3069783 के निम्नलिखित कार्यों को बिना नक्शों/ Rate of Analysis/Detail Estimate के ही निष्पादित किया गया था जिसके कारण निर्माण कार्य से सम्बन्धित आबंटित दरों व चलत बिलों का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

Detail Of Works Expenditure for Rate of Analysis/ Detail Estimate/Drawing/Advertisment throught News paper not Made

Sr. NO.	Name of Work	Voucher No & Date	Gross amount of bill	M.B. No & page no	Name of Contractor	Remarks
1	Lifting and removal of debries in School nalah ist Phase	348/19.05.18	45176	M.B No. -5 page no -90	Rajeev Thakur	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**

2	Providing PCC wall in curve of GD field ward no -1	349/19.5.18	86241	M.B No. -5 page no -92	Mohan Musafir	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
3	Providing tiles on path near house of smt meera and sh. Moti ram ward no -2	354/22.5.18	42850	M.B No. -5 page no -97	Mohan Musafir	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
4	Construction of park behind shopping complex Narkanda (sub head Construction of approach road to park	355/22.5.18	135842	M.B No. -5 page no -100	Sumit Rathor	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
5	Lifting and removal of debries in s s s nalah 2nd Phase	356/22.5.18	89239	M.B No. -6 page no -1	Sumit Rathore	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
8	Construction of steps Near sunder Negi house – Ward no-2	222/17.10.19	193136	M.B No. -6 page no -91	Sumit Rathor	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
9	Providing interlock from Lal Kothi to dhomdi road ward no -7	224/18.10.19	301618	M.B No. -7 page no -2	Kishori Lal	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
10	Repair of path from PHC Narkanda to KD Sharma house ward no-1	225/18.10.19	92650	M.B No. -7 page no -3	Rajesh Kumar	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
11	Construction of park behind shopping complex Narkanda (sub head proving stone soling and CC flooring and side drains	225/18.10.19	178727	M.B No. -7 page no -6	Rajesh Kumar	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
12	Extension of ground Govt. senior secondary school Narkanda	280/22.10.19	200055	M.B No. -7 page no -9	Rajeev Thakur	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
13	Construction of community bhawan at mela maidan Narkanda	231/22.10.19	266819	M.B No. -7 page no -12	Rajeev Thakur	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
14	Construction of PCC wall In the curve of Kainthla field ward no -1	232/22.10.19	139348	M.B No. -7 page no -14	Sumit Rathor	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
15	Providing cement concrete Flooring in parking floor in ward no -6	233/22.10.19	92107	M.B No. 7 page no -15	Sumit Rathor	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**

16	Construction of road from NH-05 to Dogra House ward no-5	234/22.10.19	76400	M.B No. 7 page no -17	Sumit Rathor	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
17	Construction of Road Cylender Gas store to Pritam House Ward No-4 by JCB	235/22.10.19	19416	M.B No. 7 page no -18	Rajeev Thakur	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
18	Construction of road from BDO office to baubah	236/22.10.19	54448	M.B No. 7 page no -21	Mohan Musafir	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
19	Construction of PCC wall at curve Naresh Kainthla Field Ward No. -1	147/01.10.20	100596	M.B No. 7 page no -74	Mohan Musafir	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
20	Construction of MRF Site-II with iron angle and CGI sheet ward No. -5	150/01.10.20	124052	M.B No. 7 page no -68	Sumit Rathor	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
21	Construction of wall behind primary health center Narkanda	151/01.10.20	81565	M.B No. 7 page no -72	Rajesh Kumar	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
22	Construction of park behind shopping complex Narkanda	148/01.10.20	142508	M.B No. 7 page no -84	Rajesh Kumar	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
23	Providing Floor tiles /panelling /ceilling in secretary office	149/01.10.20	84994	M.B No. 7 page no -66	Sumit Rathor	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
24	Construction of PCC wall at starting point of road block to Sukesh house RD 0/0 to0/35	152/01.10.20	117617	M.B No. 7 page no -75	Sumit Rathor	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
25	Construction of shed for bailing machine	153/01.10.20	152205	M.B No. 7 page no -77	Sumit Rathor	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
26	Construction of park near Pardesi house (Sub head:- construction retailing wall Near rekha mounta house	162/26.10.20	83257	M.B No. 7 page no -82	Sunil Rajta	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**

27	Construction of composting pit and MRF site Near dhoja road	163/28.10.20	51678	M.B No. 7 page no -80	Sumit Rathor	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
28	MRF site No.-II with iron angle and CGI sheet dojha road	164/28.10.20	39271	M.B No. 7 page no -91	Sumit Rathor	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
29	Providing Cement concrete over slab Nagar Panchayat shops sunny studio Narkanda	165/28.10.20	77968	M.B No. 7 page no -92	Rajesh Kumar	**Rate of Analysis/ Detail Estimate /Drawing/ Advertisment throught News paper not Made .**
	Total		**3069783**			

अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे अब सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाय तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाने के अतिरिक्त भविष्य में निर्माण कार्य का निष्पादन नियमानुसार ही करना सुनिश्चित किया जाये। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा:-

16 वाहनों की औसत तेल खपत निर्धारित न करना

हि०प्र० वित्त विभाग के पत्र संख्याः फिन-I-सी०(14)1/83, दिनांक 8.9.1987 के अनुसार विभागों के नियन्त्रण अधिकारी प्रति वर्ष वाहनों का टेस्ट लेंगे व माइलेज को लॉग बुक में दर्ज करेंगे तथा चालक यह माइलेज बनाये रखेंगे। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर पंचायत के पास एक pick-up गाड़ी हैं जिनको परिषद की सीमा के भीतर कूड़ा-कर्कट उठाने व फेंकने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वाहनों की लॉग बुक की जांच करने पर पाया गया कि वर्णित वाहन की माइलेज/औसत तेल खपत निर्धारित नहीं की गयी थी जिसके अभाव में डीजल की खपत पर परिषद का कोई नियन्त्रण नहीं है। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आपत्ति उठाई गयी थी परन्तु पंचायत द्वारा कोई भी अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गयी जो कि गम्भीर अनियमितता है जिससे किसी भी वित्तीय अनियमितता से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः पाई गई अनियमितता बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए पुनः परामर्श दिया जाता है कि प्रति वर्ष नियमानुसार समस्त वाहनों की प्रति कि० मी० माइलेज निर्धारित करके लॉग बुक्स

में दर्ज की जाये ताकि प्रत्येक माह् के अन्त में डीजल की प्रति कि० मी० वास्तविक औसत खपत का, नियन्त्रण अधिकारी द्वारा निर्धारित औसत खपत से मिलान किया जा सके व डीजल की औसत खपत पर नियन्त्रण रखा जा सके और किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता से बचा जा सके। तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या R-787/2021 दिनांक 19.08.21 के प्रतिउत्तर में सचिव ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.08.21 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा I

17 स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न किया करना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43(सी) में वर्णित प्रावधानानुसार प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगर परिषद/नगर पंचायत या अधिकृत कर्मचारी स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन करेंगे तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के अनुसार शेष से किया जायेगा और साथ ही प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन और किताबी अभिलेख में अंतर पाये जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाएंगे। अंकेक्षण के दौरान स्टॉक/स्टोर के प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन के संदर्भ में सचिव नगर पंचायत द्वारा मौखिक तौर पर सूचित किया गया कि अवधि 01.04.18 से 31.03.21 के दौरान नगर पंचायत के स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं किया गया हैं तथा जिसे नियमों अनुसार शीघ्र अति शीघ्र किया जायेगा। अत: हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43(सी) में वर्णित प्रावधानानुसार स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं किए जाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही तुरन्त अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा I

18 Immovable property register (अचल संपति रजिस्टर) का रख रखाव न करना

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंट कोड – 1975 की धारा 244 के अनुसार नगर पंचायत अपनी हर संपति (चल एवं अचल) की प्रविष्टि अचल सम्पति रजिस्टर मे दर्ज करेगा तथा उस रजिस्टर का स्त्यापन नगर पंचायत के सदस्य या सदस्यों की कमेटी द्धारा तीन वर्षो मे एक बार किया जाना अपेक्षित है l अंकेक्षण द्धारा इस बारे मे गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों मे बार -2 आपत्ति उठाने पर भी अभी तक चल एवं अचल सम्पति रजिस्टर का रख रखाव नही किया गया जोकि एक गंभीर अनियमितता है l अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि अचल संपति रजिस्टर का तुरन्त रख रखाव सुनिश्चित किया जाए व संपति रजिस्टर मे सभी अचल सम्पतियों की प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी से भी सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर– 87/2021 दिनांक 19.08.2021 के प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत नारकंडा ने पत्र संख्या 764 दिनांक 21.8.2021 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा I

19. **लघु आपत्ति विवरणिका-:** यह अलग सें जारी नहीं की गई तथा सभी लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था।

20. **निष्कर्ष :-**लेखाओं के रख रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता हैं।

हस्ता/–
(हेमराज भारद्वाज)
संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0) एच(2) सी(15) (V) 96/92 खण्ड–45417–5418 दिनांक 25.11.2021:, शिमला–171009.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करके के

लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 2 सचिव, नगर पंचायत नारकण्डा, तहसील व जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के सटिप्पण उत्तर एक मास के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–

(हेमराज भारद्वाज)
संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

परिषिष्ट "1" पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 2/85 से 3/91

क्र0सं0	पैरा संख्या	पैरों पर कार्यवाही	टिप्पणी
1	पैरा–8 (1)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/96

1	पैरा–16 (क)	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/2001

1	पैरा–22 (1)	अनिर्णीत	
2	पैरा–22 (2)	अनिर्णीत	
3	पैरा–22 (3)	अनिर्णीत	
4	पैरा–22 (4)	अनिर्णीत	

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2005

1	पैरा–5 (2) (3)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण व वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित पश्चात
2	पैरा–12	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
3	पैरा–15 (1)	अनिर्णीत	
4	पैरा–15 (4)	अनिर्णीत	
5	पैरा–21 (ख) से (च)	अनिर्णीत	
6	पैरा–23 (5)	निर्णीत	आवश्यक वसूली ₹614 G-8 संख्या 836 दिनांक 19.8.21 द्वारा करने पश्चात
7	पैरा–27	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
8	पैरा–30 (2)	निर्णीत	आवश्यक वसूली ₹1169 G-8 संख्या 837 दिनांक 19.8.21 द्वारा करने पश्चात व आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
9	पैरा–30 (6)	अनिर्णीत	
10	पैरा–30 (7)	अनिर्णीत	

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/05 से 3/07 तक

1	पैरा–6 (vii)	अनिर्णीत	
2	पैरा–6 (ix)	अनिर्णीत	
3	पैरा–6 (xii)	अनिर्णीत	
4	पैरा–6 (xiii)	अनिर्णीत	
5	पैरा–7 (ii) से (iv)	अनिर्णीत	

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/11 तक

1	पैरा–13	अनिर्णीत	

2	पैरा—14	अनिर्णीत	
3	पैरा—14.1	अनिर्णीत	
4	पैरा—15	अनिर्णीत	
5	पैरा—15.2	अनिर्णीत	
6	पैरा—17	अनिर्णीत	
7	पैरा—18	अनिर्णीत	
8	पैरा—18.1	अनिर्णीत	
9	पैरा—19	अनिर्णीत	

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/14

1	पैरा—4.4	अनिर्णीत	
2	पैरा—5.2	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
3	पैरा—5.3	अनिर्णीत	
4	पैरा—5.'5	अनिर्णीत	
5	पैरा—11 (1)	अनिर्णीत	
6	पैरा—11 (2)	अनिर्णीत	
7	पैरा—11 (3)	अनिर्णीत	
8	पैरा—13	अनिर्णीत	
9	पैरा—14 (1) से (3)	अनिर्णीत	
10	पैरा—15 (1) से (2)	अनिर्णीत	

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2016

1	पैरा—7 (2)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण व कार्यवाही पश्चात
2	पैरा—11 (2)	निर्णीत	आवश्यक वसूली ₹1470 G-8 संख्या 838 दिनांक 19.8.21 द्वारा करने पश्चात
3	पैरा—14	अनिर्णीत	
4	पैरा—15	अनिर्णीत	

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2016 से 3/2018

1	पैरा—3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की राशि ड्राफ्ट संख्या 123053 दिनांक 6.12.2018 को भेजने पश्चात)
2	पैरा—4.(क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
3	पैरा—4.(ख)	निर्णीत	आवश्यक कार्यवाही पश्चात
4	पैरा—4.(ग)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
5	पैरा—5.(क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
6	पैरा—5.(ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा—6.(क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
8	पैरा—6.(ख)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
9	पैरा—6 (ग)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
10	पैरा—7 (क)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
11	पैरा—7.(ख)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
12	पैरा—7.(ग)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
13	पैरा—7.(घ)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
14	पैरा—7.(ङ)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
15	पैरा—7.(च)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित

16	पैरा—7.(छ)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
17	पैरा—7.(ज)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
18	पैरा—7.(झ)	अनर्णीत	
19	पैरा—7.(ञ)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
20	पैरा—8.(क)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
21	पैरा—8.(ख)	निर्णीत	₹345448/- की राशि पेंशन खाता संख्या 4541 में दिनांक 21.8.21 को हस्तांतरण पश्चात
22	पैरा—8.(ग) 1 व 2	अनिर्णीत	
23	पैरा—9.(क)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
24	पैरा—9.(ख)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
25	पैरा—9.(ग) 1 व 2	अनिर्णीत	
26	पैरा—9.(घ)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
27	पैरा—9.(ड)	अनिर्णीत	
28	पैरा—9.(च)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
29	पैरा—9.(छ)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
30	पैरा—10. (क)	अनिर्णीत	
31	पैरा—10.(ख)	अनिर्णीत	
32	पैरा—10.(ग)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
33	पैरा—10.(घ)	अनिर्णीत	

34	पैरा—11.(क)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
35	पैरा—11.(ख)	अनिर्णीत	
36	पैरा—11.(ग)	अनिर्णीत	
37	पैरा—11.(घ)	अनिर्णीत	
38	पैरा—11.(ड)	निर्णीत	(₹1714 की वसूली जी—8 संख्या 832 दिनांक 16.8.21 द्वारा करने व आवश्यक कार्यवाही पश्चात)
39	पैरा—11.(च) 1 व 2	अनिर्णीत	
40	पैरा—11.(छ)	निर्णीत	(₹459 की वसूली जी—8 संख्या 832 दिनांक 16.8.21 द्वारा करने व आवश्यक कार्यवाही पश्चात)
41	पैरा—11.(ज)	अनिर्णीत	
42	पैरा—11.(झ)	अनिर्णीत	
43	पैरा—11.(ञ)	निर्णीत	(आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात)
44	पैरा— 12	निर्णीत	(आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात))
45	पैरा— 13	निर्णीत	(आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात))
46	पैरा— 14	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन : प्रारूपित)
47	पैरा— 15	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
48	पैरा— 16	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

अनिर्णीत पैरों का सार	
1.4.2018 को अनिर्णीत पैरों का प्रारम्भिक शेष	92
(+) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	16
(—) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	43
दिनांक 31.03.2021 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	65